

## विषय सूची

ई-टैंडर आमंत्रण सूचना	1
अस्वीकरण	4
टैंडर का अनुसूची (SOT)	5
(भाग 1-तकनीकी बोली)	7
ई-टैंडर के लिए सूचना (NIT)	8
ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	10
प्रस्ताव पत्र	14
निम्नलिखित शर्तों की व्याख्या खंड	17
कार्य का क्षेत्र	19
ई-टैंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	20
बोली मूल्यांकन मानदंड	26
समझौता लेख/Articles of Agreement	29
ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें	40
सुरक्षा कोड	61
वाणिज्यिक शर्तों की जाँच सूची	62
समान कार्यों की सूची	64
बोलीदाता का विवरण	65
सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	67
ईमानदारी जमा/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	70
ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र	72
बैंकरों का विवरण	74
एक अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप	75
निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिज्ञा	76
बायो- डाटा फॉर्म / Bio- Data Form	78
MSTC पोर्टल पर टैंडर के भाग-1 के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची	79
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण पत्र का प्रारूप	82
मूल्य बोली	83

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, बैंगलुरु द्वारा इस दस्तावेज़ की तैयारी रुचि रखने वाले पक्षों को अनुबंध के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के लिए की गई है। RBI ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की तैयारी में उचित देखभाल की है और इसे सही मानता है, लेकिन RBI या उसके किसी भी अधिकारी, एजेंसियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित, नहीं दिया गया है।

यह जानकारी व्यापक होने के लिए नहीं है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी स्वयं की जांच करनी आवश्यक है और प्रतिवादी लिखित रूप में पुष्टि करने के लिए बाध्य होंगे कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे टैंडर प्रस्तुत करते समय RBI द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर केवल निर्भर नहीं करते हैं। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह RBI या उसके किसी भी अधिकारी या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

RBI को अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने, अनुबंध के विन्यास में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में प्रतिबिंबित समय सारणी में परिवर्तन करने या लागू किए जाने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यह यह भी सुरक्षित रखता है कि रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करें। किसी भी प्रकार की लागत का कोई भुगतान रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को नहीं किया जाएगा।

## टैंडर का अनुसूची (SOT)

(केवल ई-प्रक्रिया के माध्यम से)

क. विभाग का नाम	प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु
ख. ई-टैंडर संख्या:	RBI/Bangalore Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/850
ग. ई-टैंडर का नाम	आरबीआई के मुख्य कार्यालय, बैंगलुरु में दो प्रशिक्षित स्निफर कुर्तौं एवं दो प्रशिक्षित हैंडलरों की तैनाती के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध।
घ. टैंडर की विधि	ई-प्रक्रिया प्रणाली ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं भाग II - वित्तीय बोली <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/">https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/</a> ) के माध्यम से)
ड. टैंडर का अनुमानित मूल्य (कर सहित)	₹10,53,198 (दस लाख तिरेपन हजार एक सौ अट्ठानवे रुपये मात्र/-)
च. निविदा की तारीख जो पक्षों द्वारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध है	14 जनवरी, 2026 को 1200 बजे
छ. पी&एस, आरबीआई बैंगलुरु में प्री-बिड मीटिंग की तारीख	10 फरवरी, 2026 को 1100 बजे
ज. एमएसटीसी पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख	14 जनवरी, 2026 को 1200 बजे
झ. ईमानदारी राशि (EMD)	₹21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित के लिए: लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु लाभार्थी खाता संख्या: 8692299 आईएफएससी: RBIS0BGPA01 (पांचवां एवं दसवां अंक 0 शून्य है) ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा
ञ. ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख	23 फरवरी, 2026 को 1700 बजे तक
ट. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली के लिए ऑनलाइन ई-टैंडर जमा करने की अंतिम तारीख	24 फरवरी, 2026 को 1000 बजे तक
ठ. भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख एवं समय	24 फरवरी, 2026 को 1100 बजे
ड. भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख एवं समय	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, बैंगलुरु द्वारा स्वीकार्य पाई गई होगी।

	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख बोलीदाताओं द्वारा दिए गए उनके संबंधित वैध ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल द्वारा सूचित की जाएगी।
ठ. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से करना होगा।



## भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India

### शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष(एचआरएमडी)/Protocol & Security Cell(HRMD)

#### बैंगलुरु/ Bengaluru

ई-टैंडर के लिए

आरबीआई के मुख्य कार्यालय, बैंगलुरु में दो प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों और दो प्रशिक्षित हैंडलरों की तैनाती के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध।

(भाग 1-तकनीकी बोली)

टैंडरदाता का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मोबाइल: \_\_\_\_\_ ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_ लैंडलाइन: \_\_\_\_\_

क्रमांक	गतिविधि	समय और तिथि
1	वेबसाइट और MSTC पोर्टल पर टैंडर की उपलब्धता की तिथि	14 जनवरी 2026 दोपहर 1200 बजे
2	ईएम ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	23 फरवरी, 2026, 1700 बजे तक
3	टैंडर ई-टैंडर जमा करने की अंतिम तिथि	24 फरवरी, 2026, 1000 बजे तक
4	टैंडर भाग- । के खोलने की तिथि	24 फरवरी, 2026 को 1100 बजे

स्थान:  
भारतीय रिजर्व बैंक  
शिष्टाचार और सुरक्षा सेल (HRMD), नृपतुंग रोड, बैंगलुरु

यह दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा, पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, RBI की लिखित अनुमति के बिना, सिवाय इस उद्देश्य के लिए RBI को प्रतिक्रिया देने के लिए। इस दस्तावेज की सामग्री का उपयोग, यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिकृत कर्मचारियों/एजेंसियों द्वारा भी, सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इसलिए भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

श्रीमू. शार्त मुठ्ठु भद्र भा कौर्स (कौर्स. आर०. ए०. छ०.)/शिष्टाचार और सुरक्षा  
कक्ष (एचआरएमडी)/Protocol & Security Cell (HRMD)

आर० चैल चैंगजूरु/ भारिबैं बैंगलुरु/ RBI Bengaluru

ई-टैंडर के लिए सूचना (NIT)

आरबीआई के मुख्य कार्यालय, नृपतुंग रोड, बैंगलुरु में दो प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों और दो प्रशिक्षित हैंडलरों की तैनाती के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध - ई-टैंडर

- ऊपर वर्णित कार्य के लिए ई-टैंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन टैंडर आमंत्रित किए जाते हैं, जो बैंक के मुख्य कार्यालय, नृपतुंग रोड, RBI बैंगलुरु पर है। कार्य का अनुमानित मूल्य प्रति वर्ष 10,53,198/-रुपये (जीएसटी सहित) है।
- सभी पूर्व-योग्यता पत्र MSTC साइट पर अपलोड किए जाएंगे। बैंक द्वारा बोली खोलने की तिथि के बाद डाउनलोड किए जाएंगे और जांच के लिए उपयोग किए जाएंगे।
- ईएमडी को डीडी/अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी/एनईएफटी द्वारा भुगतान के साक्ष्य के रूप में एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर क्षेत्रीय निदेशक, P&S सेल (HRMD), भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु का नाम लिखा हो, जो 23 फरवरी, 2026, 1700 बजे से पहले पहुंच जाए, और इस पर "ईएमडी के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध दो प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों और दो प्रशिक्षित हैंडलरों की तैनाती के लिए बैंगलुरु" लिखा हो। बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट के बजाय बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी जमा करने की अनुमति है। ईएमडी/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का नमूना अनुबंध IV में दिया गया है।
- यदि इच्छुक टैंडरदाता बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो बैंक को टैंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने का अधिकार है।
- (क) टैंडर फॉर्म 14 जनवरी 2026 दोपहर 1200 बजे से [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) वेबसाइट से देखने के लिए डाउनलोड किए जा सकते हैं।  
(ख) ईएमडी ₹ 21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में, डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी के रूप में या एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में, जो बैंक के मानक नमूने में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई है, जो टैंडर फॉर्म (अनुबंध-IV) में उपलब्ध है।  
(ग) टैंडरदाताओं को ऊपर उल्लिखित सभी जानकारी और दस्तावेज जमा करने चाहिए।

परीक्षण के बाद, यदि कोई भी टैंडरदाता आवश्यक योग्यता नहीं रखता है, तो बैंक उनके टैंडरों को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं करेगा।

6. भाग I के टैंडरों का खुलासा 24 फरवरी, 2026 को 1100 बजे उन टैंडरदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। भाग-II (मूल्य बोली) योग्य टैंडरदाताओं के लिए बाद की तिथि पर खोली जाएगी, जो टैंडरदाताओं को पहले सूचित की जाएगी।

7. बैंक को सबसे कम टैंडर को स्वीकार करने का बाध्य नहीं है और किसी भी टैंडर को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है। बैंक को बिना किसी कारण बताए सभी टैंडरों को अस्वीकार करने का अधिकार भी है।

स्थान:

क्षेत्रीय निदेशक

तिथि:

## ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन टैंडर जमा करने से पहले तकनीकी-वाणिज्यिक बोली की शर्तों और नियमों को पढ़ें।

### ई-टैंडर की प्रक्रिया:

**क) पंजीकरण:** यह प्रक्रिया MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता के पंजीकरण से संबंधित है, जो निःशुल्क है। केवल पंजीकरण के बाद, विक्रेता अपनी/उनकी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। विक्रेताओं को अपने आप इंटरनेट से जुड़े पीसी की व्यवस्था करनी चाहिए। MSTC ऐसी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

**विशेष नोट:** तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली को [www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना चाहिए।

- 1) विक्रेताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) => e-Procurement => PSU/ Govt. depts. => Select RBI Logo => Register as Vendor => Filling up details and creating own user id and password => Submit. के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
- 2) विक्रेताओं को उनके ईमेल पर एक सिस्टम जनित मेल मिलेगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा, जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया था। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, विक्रेता ई-टैंडर के निर्धारित समय से पहले RBI / MSTC से संपर्क कर सकते हैं।

### संपर्क व्यक्ति (RBI):

1. श्री अभिनित (सहायक, P&S सेल); 080-22180277
2. श्री अभिषेक मिश्रा (प्रबंधक, P&S सेल) 080-22180500

### संपर्क व्यक्ति (MSTC लिमिटेड):

1. श्री जे. दामोदरन, शाखा प्रबंधक: 080-22287356 / 9841002253 ([jdamodaran@mstcindia.co.in](mailto:jdamodaran@mstcindia.co.in))
2. रवींद्रनाथ, 76764 56095
3. अर्णब सरकार 9986036012

गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- [mstceproc@gmail.com](mailto:mstceproc@gmail.com)

MSTC केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर: 033-23400020/23400021/23400022

ईमेल: [helpdesk@mstcindia.co.in](mailto:helpdesk@mstcindia.co.in)

### ख) सिस्टम आवश्यकताएं:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम।
- ii) आईई-7 और उससे ऊपर इंटरनेट ब्राउज़र।

iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल सिग्नेचर

iv) सिस्टम में लेटेस्ट अपडेटेड JRE 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा।

DSC को साइनर बॉक्स में दिखाने के लिए "प्रोटेक्टेड मोड" को डिसेबल करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

• टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन्स => सिक्योरिटी => यदि सक्षम है तो प्रोटेक्टेड मोड डिसेबल करें- अर्थात्, "एनेबल प्रोटेक्टेड मोड" वाले टिक बॉक्स से टिक को हटाएं।

अन्य सेटिंग्स:

• टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन्स => जनरल => "ब्राउज़िंग हिस्ट्री / डिलीट ब्राउज़िंग हिस्ट्री" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें => टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स => "हर बार में वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।

IE सेटिंग्स को चालू करने के लिए टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन्स => कस्टम लेवल पर सभी एक्टिव X कंट्रोल्स को सक्षम करें और 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' डिसेबल करें (कृपया [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पृष्ठ से IE सेटिंग्स चलाएं)।

'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' और 'मूल्य बोली' को [www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ऑनलाइन जमा करना होगा। टेंडर निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाएंगे।

टेंडर में सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के दर्ज की जानी चाहिए।

**लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट:**

विक्रेताओं को "माई मेनू" में "ट्रांजैक्शन फीस भुगतान" लिंक के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को घटना ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट टेंडर का चयन करना होगा। विक्रेता एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा रखेंगे। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान उत्पन्न करेंगे। विक्रेता चालान पर छपे विवरणों के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि भेजेंगे, बिना उसमें कोई बदलाव किए। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा रखेंगे। एक बार भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनित मेल मिलेगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। विक्रेता को लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

**नोट**

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के अंतिम समय से पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

टैंडरों / सुधारों के बारे में जानकारी टैंडर के अंतिम निर्धारण तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ईमेल आईडी जो MSTC के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया था, वैध और अपडेटेड है। विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।

ई-टैंडर निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद तक पहुंच योग्य नहीं होगा।

### ई-टैंडर में बोली:

क) यह प्रक्रिया 'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' और 'मूल्य बोली' के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली जमा करने से संबंधित है।

ख) जो विक्रेता लेनदेन शुल्क जमा कर चुके हैं, वे केवल इंटरनेट के माध्यम से MSTC वेबसाइट पर अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) => e-procurement => PSU / Govt. depts. => Login under RBI => My menu => Auction Floor Manager => live event => Selection of the live event.

ग) विक्रेता के पास चल रहा जावा अनुप्रयोग होना चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खोलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने और उन्हें सहेजने की आवश्यकता है। उसके बाद, उन्हें 'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा अनुप्रयोग चलता नहीं है, तो विक्रेता अपनी 'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' को सहेजने / जमा करने में सक्षम नहीं होंगे।

घ) 'तकनीकी वाणिज्यिक बोली' भरने के बाद, विक्रेताओं को उसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार 'मूल्य बोली' लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भर जाने के बाद, विक्रेताओं को 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए ताकि 'मूल्य बोली' को रिकॉर्ड किया जा सके। जब दोनों 'तकनीकी-वाणिज्यिक बोली' और 'मूल्य बोली' सहेज दी जाएं, तो विक्रेता को 'अंतिम जमा' बटन पर क्लिक करना चाहिए ताकि बोलियों को पंजीकृत किया जा सके।

ड) टैंडर के भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के उन पृष्ठों को अपलोड किए गए टैंडर दस्तावेजों से डाउनलोड किया जाना चाहिए, जहां विवरण भरे जाएंगे और हस्ताक्षरित किए जाएंगे, और अपलोड किए जाएंगे। विक्रेताओं को 'Attach Doc' बटन का उपयोग करके दस्तावेज अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

च) सभी मामलों में, विक्रेताओं को अपने बोली जमा करने के समय अपना आईडी और पासवर्ड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।

छ) पूरे ई-टैंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से अज्ञात रहेंगे।

ज) ई-टैंडर फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से खुला रहेगा और ऊपर बताए अनुसार अवधि के लिए खुला रहेगा।

झ) ई-टैंडर प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। कोई भी बोली उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली मानी जाएगी और उसकी 'खरीदार' द्वारा स्वीकृति 'खरीदार' और 'विक्रेता' के

ज) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ जमा की जाएं, अन्यथा प्रणाली द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट) 'खरीदार' को पूर्ण या आंशिक रूप से टैंडर को रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

टैंडर दस्तावेज की शर्तों और नियमों में भाग I के खुलने के बाद कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टैंडर फ्लोर पर बोली जमा करना उसकी टैंडर के लिए शर्तों और नियमों को स्वीकार करने की पुष्टि करता है। टेक्नो-कॉर्मर्शियल बोली (भाग I) से उत्पन्न किसी भी आदेश को उसमें उल्लिखित शर्तों और नियमों के अनुसार शासित किया जाएगा। टैंडर आमंत्रित करने वाले अधिकारी को बिना किसी कारण के इस ई-टैंडर को रद्द करने या बोली(यों) की प्राप्ति की तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि बोली लगाने से पहले वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर विक्रेता गाइड पढ़ें और वीडियो देखें ताकि वे प्रणाली से परिचित हो सकें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी को विशेष रूप से उस कॉलम/पंक्ति में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए जो इसके लिए निर्धारित है। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में 1000 अक्षरों की शब्द सीमा के कारण, पूर्ण विवरण शामिल नहीं किया जा सका, और उल्लिखित विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को टेक्नो-कॉर्मर्शियल बोली (भाग I) में दिए गए मात्रा की अनुसूची और अन्य विनिर्देशों/शर्तों और नियमों में दिए गए प्रत्येक आइटम के पूर्ण विवरण पढ़ने चाहिए। कार्यान्वयन और दर के उद्देश्य के लिए, टेक्नो-कॉर्मर्शियल बोली (भाग I) में मात्रा की अनुसूची में दिए गए विवरण लागू किए जाएंगे।

## प्रस्ताव पत्र

स्थान: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
पी&एस सेल, एचआरएमडी,  
10-38, निरुपथुंगा रोड,  
बैंगलुरु 560001

महोदया,

उपर्युक्त उल्लिखित मेमोरेंडम में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्रा की अनुसूची का अध्ययन करने और उक्त मेमोरेंडम में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थल का अध्ययन करने तथा उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम यहां उक्त मेमोरेंडम में विनिर्दिष्ट कार्यों को उक्त मेमोरेंडम में निर्दिष्ट समय के भीतर लगाए गए मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर तथा अनुबंध के लेखों, टैंडर की सामान्य शर्तों, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों और नियमों में लिखित निर्देशों के अनुसार, और जैसा कि उपर्युक्त शर्तों में उल्लिखित है, उनके अनुसार सभी सेवाओं और सामग्री के साथ करने का प्रस्ताव रखते हैं।

### मेमोरेंडम

क	कार्य का विवरण	बैंक के बैंगलुरु स्थित कार्यालय भवनों में स्निफर कुत्तों और उनके हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध
ख	अनुमानित लागत	लगभग ₹10,53,198/- (दस लाख तिरेपन हजार एक सौ अद्वानवे रुपये मात्र) है, हालांकि वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
ग	ईएमडी (ईमानदारी धन जमा)	₹21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) (ब्याज रहित)
घ	अनुबंध की वैधता	प्रारंभ में 31 मार्च, 2027 तक (संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा)।
ड	प्रदर्शन गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (सफल एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किया जाएगा)

2. हम यह स्वीकार करते हैं कि हम ई-टैंडर दस्तावेजों के साथ जमा करने के समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) की राशि ईमानदारी धन के रूप में जमा करेंगे, जो ब्याज रहित होगी। यदि हम आहवान किए जाने पर अनुबंध को पूरा नहीं करते हैं, तो हम यहां स्वीकार करते हैं कि यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। हम यह भी सहमत हैं कि हम टैंडर की पूरी अवधि तक प्रदर्शन गारंटी के लिए बैंक गारंटी को मान्य रखेंगे।

3. हम यह भी सहमत हैं कि हमारी बोली भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने के लिए मान्य रहेगी और यह वैधता अवधि बैंक और हमारे बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

4. यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहां सहमत हैं कि हम टैंडर की सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे और उनका पालन न करने की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक को टैंडर में निर्दिष्ट राशियों के साथ-साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति का भुगतान करेंगे।

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

6. टैंडर दो भागों में जमा किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें एवं नियम, तकनीकी विवरण, ईएमडी और भाग II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली होती है।

7. यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यहां सहमत हैं कि हम उक्त अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे और उनका पालन न करने की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि का भुगतान करेंगे।

8. हमारे बैंकर्स हैं (पूरा पता):

i)	
ii)	

9. हमारी फर्म के साझेदारों के नाम हैं:

i)	
ii)	
फर्म के साझेदार का नाम जो अधिकृत है दस्ताखत करने के लिए	
या	

आपका विश्वासी,

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते:

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

## निम्नलिखित शर्तों की व्याख्या खंड

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध समझौते की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां निर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।

क	“बैंक”	भारतीय रिजर्व बैंक का अर्थ होगा और इसमें इसके अधिग्रहणकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
ख	“ठेकेदार”  (साझेदारी के मामले में)	“ठेकेदार” का अर्थ होगा बैंगलुरु, महाराष्ट्र में व्यवसाय स्थल वाली फर्म जो स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के नाम और शैली में व्यापार करती है, और इसमें उक्त फर्म के समय-समय पर साझेदार और एक मृत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
ग	(व्यक्ति के मामले में)	“ठेकेदार” का अर्थ होगा श्री _____ जो स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के नाम और शैली में व्यापार करते हैं, और इसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
घ	(कंपनी के मामले में)	“ठेकेदार” का अर्थ होगा कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अधिग्रहणकर्ता शामिल होंगे।
ঙ	“स्थल”	अनुबंध कार्यों के स्थल का अर्थ होगा, जिसमें सामान्य परिधीय क्षेत्र और बैंक द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है।
চ	“यह अनुबंध”	अनुबंध के लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देश आदि का अर्थ होगा, जो इसके साथ संलग्न हैं और उचित रूप से हस्ताक्षरित हैं।
ছ	“टैंडर”	ई-टैंडर जो <a href="https://www.mstcecommerce.com">https://www.mstcecommerce.com</a> द्वारा अनुसरण किया जा रहा है
জ	“बैंक का अधिकारी/केयरटेकर”	“बैंक का अधिकारी/केयरटेकर” शब्द का अर्थ होगा बैंक द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति जो कार्यों का निरीक्षण करता है। ठेकेदार बैंक के अधिकारी/केयरटेकर को कार्यों का निरीक्षण करने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। न तो बैंक का अधिकारी/केयरटेकर और न ही बैंक का कोई प्रतिनिधि कार्य निर्धारित करने या अनुबंध की किसी आवश्यकता को रद्द, बदलने, बढ़ाने या ढीला करने, या किसी भी अतिरिक्त कार्य, जोड़, परिवर्तन, विचलन या छोड़ने को स्वीकार करने का अधिकार रखता है, जब तक

		<p>कि ऐसा अधिकार बैंक के अधिकारी द्वारा लिखित आदेश और बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो।</p> <p>बैंक के अधिकारी/केयरटेकर या बैंक का कोई प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति की सूचना देने का अधिकार रखता है और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।</p>
झ	“लिखित सूचना”	<p>लिखित सूचना का अर्थ होगा लिखित, टाइप किए गए या प्रिंट किए गए अक्षरों में सूचना, जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्रमाणित न किया गया हो कि यह प्राप्त किया गया है) अंतिम जात निजी या व्यावसायिक पते पर, जब डाक के सामान्य प्रक्रिया में यह पहुंचाया जाता है।</p>
क	“दिवालियापन का कार्य”	<p>प्रेसीडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय इंसॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल अधिनियम को संशोधित करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी दिवालियापन के कार्य का अर्थ होगा।</p>
ख	“कार्य”	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवनों में स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध का अर्थ होगा, जैसा कि यहां उल्लिखित है।</p>

## कार्य का क्षेत्र

### अवलोकन:

दो प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों को दिन में बारह घंटे तक इस प्रकार तैनात किया जाएगा कि प्रत्येक कुत्ता प्रतिदिन आठ घंटे का कार्य करेगा। कार्य के घंटे सुबह 7 बजे से शुरू होंगे और शाम 8 बजे तक चलेंगे, सोमवार से शनिवार तक। प्रत्येक कुत्ता घंटे के कार्य के बाद विश्राम के साथ आवर्ती आधार पर मुख्य कार्यालय परिसर में तैनात होगा। इस प्रकार, किसी भी दिए गए समय पर एक कुत्ता कार्य पर होगा, हालांकि सुबह के उबड़-खाबड़ समय और बैठकों/सभाओं आदि जैसी घटनाओं के दौरान, दोनों कुत्तों को कार्य पर तैनात किया जाएगा।

1. सुबह के घंटों में स्निफर कुत्ता परिधीय और पार्किंग क्षेत्र के चारों ओर घूमेगा ताकि मुख्य कार्यालय परिसर का सैनिटाइजेशन कर सके, फिर मुख्य द्वार क्षेत्र में अपनी स्थिति ले सके।
2. मुख्य द्वार क्षेत्र में, स्निफर कुत्ते मुख्य कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों, जिसमें कारों के बूट स्पेस को भी शामिल किया जाएगा, की जांच करेंगे ताकि कोई विस्फोटक सामग्री न हो। कुत्ता हैंडलर कुत्तों को आदेश/निर्देश देगा और कुत्ते को कार के चारों ओर ले जाएगा ताकि कोई विस्फोटक का पता लगाया जा सके और जब वह संतुष्ट हो जाए कि वाहन विस्फोटक से मुक्त है, तो कुत्ता हैंडलर वाहन के ड्राइवर को आगे बढ़ने का संकेत देगा।
3. यदि कुत्ता इंजन की आवाज के कारण वाहन की जांच करने में असमर्थ है, तो कुत्ता हैंडलर वाहन/कार के ड्राइवर से वाहन/कार का इंजन बंद करने का अनुरोध करेगा।
4. दिन/रात के यादचिक समय पर मुख्य कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले ट्रक/लॉरी/बस और अन्य वाणिज्यिक वाहनों की जांच।
5. मुख्य कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रशासनिक बैठकों के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कारों की जांच। ऐसे अवसरों पर दोनों स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि सुचारू कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
6. बैंकिंग हॉल में और अन्य क्षेत्रों में दौरा करना जहां सामान्य जनता का संपर्क होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्षेत्र विस्फोटक सामग्री से मुक्त हैं।
7. दोनों स्निफर कुत्तों को सुरक्षा प्रबंधक की देखरेख में मासिक आधार पर विस्फोटक डिटेक्शन टेस्ट से गुजरना होगा।
8. मुख्य कार्यालय परिसर में किसी भी आपातकालीन स्थिति में विस्फोटक/अनदेखे बैग का पता लगाने या पहचानने के लिए प्रतिक्रिया करना।
9. कुत्ता हैंडलर दोनों कुत्तों की शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए सुबह/शाम के घंटों में बुनियादी व्यायाम कराएंगे ताकि मोटापा न हो और कुत्ते फिट स्थिति में रहें।
10. कुत्तों को बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य कार्य के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

## ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

1. भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु ने बैंक के बैंगलुरु स्थित कार्यालय भवनों में स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए दो भागों में ई-टेंडर आमंत्रित किया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹10,53,198/- (दस लाख तिरेपन हजार एक सौ अष्टानवे रुपये मात्र) है, सभी करों सहित।
2. केवल वे कंपनी/फर्म/एजेंसी जो निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं:
  - क) कम से कम पांच वर्षों तक स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं (आवेदक ने 31 मार्च, 2025 तक कम से कम एक समान कार्य किया होना चाहिए) और पिछले पांच वर्षों में समान कार्य किया होना चाहिए (कार्य आदेश और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जो कार्य के समर्थन में जमा किए जाते हैं, उन्हें 01 अप्रैल, 2020 के बाद जारी किया जाना चाहिए) निम्नानुसार:
    - i. तीन समान पूर्ण कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।
    - ii. दो समान पूर्ण कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% से कम न हो। प्रति वर्ष
    - iii. एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।
  - ख) पिछले 3 वर्षों (आयकर वर्ष) अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए वार्षिक टर्नओवर (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित क्रेडिट समापन या एक सीए द्वारा टर्नओवर प्रमाण पत्र के साथ आयकर रिटर्न की प्रतियां जमा की जानी चाहिए) ₹ 10,53,198/- से कम नहीं होना चाहिए।
  - ग) ₹ 10,53,198/- के अनुमानित लागत वाले अनुबंध को पूरा करने के लिए सॉल्वेंट/वित्तीय रूप से स्थिर होना चाहिए।

इन मानदंडों को पूरा करने वाले सभी ठेकेदार मस्टीसी के सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि टेंडर के अनुभाग I में दर्शाया गया है, और टेंडर दस्तावेज अपलोड करते समय उपरोक्त मानदंडों के साथ संबंधित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

घ) इच्छुक ठेकेदारों को अवश्य निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए और टेंडर फॉर्म के साथ बैंक को उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता के बारे में संतुष्ट करने के लिए संबंधित दस्तावेज जमा करने चाहिए।

क्रं. S. No	जानकारी Information	जमा किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be submitted
(i)	फर्म की संरचना	<p>अनुबंध-II के तहत निर्धारित प्रारूप में फर्म के गठन के बारे में पूर्ण विवरण (चाहे ठेकेदार व्यक्ति हो, या साझेदारी फर्म, या कंपनी आदि) जमा किए जाने चाहिए, साथ ही साथ साझेदारों के नाम(नाम) और पते(पते), अनुबंध/पावर ऑफ अटॉर्नी/अटॉर्नी/अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रति।</p> <p>कंपनी के मामले में, कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, मेमोरेंडम और एसोसिएशन के आर्टिकल और अन्य संबंधित दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के</p>

		<p>विवरण जमा किए जाने चाहिए। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विधि, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो, और फर्म के गठन करने वाले सभी साझेदारों के विवरण; और एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण, साथ ही नाम(नाम) और पते(पते) आदि जमा किए जाने चाहिए।</p> <p>प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा जारी स्थापना का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाण पत्र और ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण पत्र और लागू कर पंजीकरण, जैसे पैन, टैन, जीएसटी आदि की प्रतियां जमा की जानी चाहिए।</p>
(ii)		<p>आवेदक को न्यूनतम 05 वर्षों के लिए समान कार्य करने के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना चाहिए (आवेदक ने 31 मार्च, 2025 तक कम से कम एक समान कार्य किया होना चाहिए) जो पर्याप्त कार्य अनुभव के समर्थन में जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>पिछले 05 वर्षों के दौरान योग्यता प्राप्त कार्यों (मूल्य जैसा कि ऊपर 2.A.i, 2.A.ii या 2.A.iii में दर्शाया गया है और समान प्रकृति के) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>योग्य कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जिनमें पुरस्कार की तिथि, पुरस्कृत कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि शामिल हैं, और संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र जिनमें वास्तविक पूर्णता की तिथि और निष्पादित समान कार्यों का वास्तविक मूल्य शामिल हैं, उन्हें कार्य पूर्णता अनुभव के समर्थन में संलग्न किया जाना चाहिए।</p> <p>यदि कोई पूर्व अनुभव है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किसी भी केंद्र पर कार्य करने के विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य भी दिए जाने चाहिए।</p> <p>बैंक को आवेदक द्वारा दावा किए गए कार्य अनुभव की जांच करने का अधिकार है, जिसके लिए वह अपने प्रतिनिधि को साइट दौरे के लिए नामित कर सकता है।</p>
(iii)	पूर्ण कार्य के विवरण	क्लाइंट-वार नाम, कार्यों के वर्ष, कार्यों की अनुमोदित और वास्तविक लागत, जिन अधिकारियों/प्राधिकरणों/विभागों के तहत कार्य किया गया था, उनके नाम और पूर्ण संपर्क

		विवरण अनुबंध-I के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रदान किए जाने चाहिए।
(iv)	क्लाइंट प्रमाण पत्र	<p>टैंडरदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य/कार्यों के लिए अनुबंध-V के तहत निर्धारित प्रारूप में क्लाइंट प्रमाण पत्र जमा करें।</p> <p>योग्यता कार्यों के लिए कार्य आदेश और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जो पैरा 3(b) के अनुसार न्यूनतम मूल्य के कार्य पूरा करने के योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए जमा किए जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से क्लाइंट प्रमाण पत्र के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।</p> <p>निजी संगठन द्वारा जारी क्लाइंट रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा किए जाने चाहिए।</p> <p>सभी स्तंभों को उचित रूप से भरा जाना चाहिए और प्रतिस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। क्लाइंट प्रमाण पत्र क्लाइंट के लेटरहेड पर होना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ।</p> <p>निर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदन/टैंडर अस्वीकार किए जाएंगे और बैंक को स्वतंत्र रूप से जमा किए गए प्रमाण पत्रों की जांच करने का अधिकार है। बैंक को ठेकेदार के वर्तमान प्रदर्शन के बारे में उनके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार भी है।</p>
(v)	ग्राहकों के नाम(नाम) और पते(पते) और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी	ग्राहकों के नाम और पतों के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि, जो उनके ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क करने योग्य व्यक्ति हैं (यानी जिन व्यक्तियों से बैंक आवश्यकता पड़ने पर उनके ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क कर सकता है), प्रदान की जानी चाहिए।
(vi)	ठेकेदार की ऋण योग्यता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका टर्नओवर।	ठेकेदार के व्यवसाय के लिए आयकर निर्वाह प्रमाण पत्र/आयकर मूल्यांकन आदेश/आयकर रिटर्न की प्रतियां और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित नवीनतम अंतिम खाते जमा किए जाने चाहिए, जो उनकी ऋण योग्यता और पिछले तीन वर्षों के लिए टर्नओवर के समर्थन में हैं।

(vii)	बैंकरों के नाम(नाम) और पते(पते) और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी	बैंकरों के नाम और पतों के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि, जो उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क करने योग्य व्यक्ति हैं (यानी जिन व्यक्तियों से बैंक आवश्यकता पड़ने पर उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क कर सकता है), अनुबंध-VI के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रदान की जानी चाहिए।
(viii)	बैंक खातों के विवरण	उनके बैंक खातों के पूर्ण विवरण, जैसे खाता नंबर, प्रकार, खोलने की तिथि आदि, दिए जाने चाहिए।
(ix)	बैंकर (सॉल्वेंसी) प्रमाण पत्र	अनुबंध-VII के तहत निर्धारित प्रारूप में सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए, जो आवेदक के बैंकर द्वारा इस कार्य के उद्देश्य से विशेष रूप से जारी किया गया है, न्यूनतम १०,५३,१९८/- के लिए। किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र स्वीकार्य है।  बैंक को ठेकेदार के बैंकरों से उनके पूर्व प्रदर्शन/सॉल्वेंसी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है।
(x)	कानूनी/वैधानिक अनुमोदन	टेंडरदाताओं को एक उद्घोषणा जमा करनी चाहिए जिसमें घोषणा की गई हो कि उन्होंने बैंगलुरु में इस व्यवसाय को करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी/वैधानिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं, साथ ही सभी संबंधित वैध दस्तावेज।
(xi)	न्यायालय में दोषी ठहराया गया/किसी सार्वजनिक संस्थान/संस्थाओं द्वारा निषेध/लंबित नागरिक मुकदमे	ठेकेदार को अनुबंध-VIII के तहत निर्धारित प्रारूप में एक उद्घोषणा जमा करनी चाहिए जिसमें घोषणा की गई हो कि उन्हें न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया है। इसमें यह घोषणा शामिल होगी कि उन्हें भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था द्वारा किसी भी आधार पर निषेध/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। ठेकेदार को यदि कोई नागरिक मुकदमा लंबित है तो विवरण प्रदान करने चाहिए।  तथ्यों को छिपाने और बाद में पता चलने के मामले में अनुबंध को रद्द कर दिया जा सकता है/तुरंत बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

ड) विलय, अधिग्रहण, अधिग्रहण आदि जैसे अपवाद के मामलों में, इच्छुक टेंडरदाता सभी संबंधित दस्तावेज जमा कर सकता है ताकि बैंक द्वारा विचार किए जाने के लिए कोई छूट/विचलन का अनुरोध कर सके। बैंक ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसी छूटों/विचलनों

को अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

च) इच्छुक टेंडरदाताओं को अपनी पात्रता मानदंडों का समर्थन करने वाले संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है और टेंडर के तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ ईमानदारी धन जमा (एनईएफटी स्टेटमेंट/बैंक गारंटी/मांग ड्राफ्ट) की स्कैन की गई प्रति जमा करनी चाहिए।

छ) ₹21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) का ईएमडी निम्नलिखित के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए

- i. भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से खाता 8692299 & आईएफएससी - RBIS0NGPA01 में 23 फरवरी, 2026, 1700 बजे से पहले या
- ii. एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में, जो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक के मानक प्रारूप (अनुबंध-IV) में जारी की गई है। ईमानदारी धन जमा के रूप में जमा की गई बैंक गारंटी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से) टेंडर की वैधता अवधि के लिए कम से कम अतिरिक्त 45 दिनों तक (यानी 03 जुलाई, 2026 तक) मान्य होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में, बैंक गारंटी को 23 फरवरी, 2026 से पहले बैंक को भौतिक रूप से जमा करना चाहिए। या
- iii. मांग ड्राफ्ट के रूप में। ऐसी स्थिति में, मांग ड्राफ्ट को 23 फरवरी, 2026 से पहले बैंक को भौतिक रूप से जमा करना चाहिए।

किसी भी परिस्थिति में, ईएमडी बैंक के निश्चित जमा, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेंडर में निर्धारित ईमानदारी धन जमा के बिना जमा की गई बोलियों को गैर-वैध बोली माना जाएगा और स्वीकार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ज) यदि इच्छुक टेंडरदाता उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक को भाग-I के खुलने के बाद भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है और अस्वीकृत टेंडर का भाग-II नहीं खोला जाएगा।

झ) यदि किसी टेंडरदाता को किसी भी समय टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट और/या उसके बैंकरों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में, अस्वीकृत टेंडर का भाग-II नहीं खोला जाएगा और संबंधित टेंडरदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बैंक को ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने का बंधन नहीं है।

ज) एक बोलीदाता निम्नलिखित कारणों से बोली लगाने से वंचित/अयोग्य ठहराया जा सकता है:

(I) यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने अखंडता के संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या अनुपस्थिति की है:

- i. प्राप्त करने, अनुरोध करने या रिश्वत, पुरस्कार या उपहार या किसी भी सामग्री लाभ की स्वीकृति करना, चाहे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के लिए या खरीद प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने के लिए।

- ii. किसी भी अनुपस्थिति या गलत घोषणा जो वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए अमित कर सकती है या अमित करने का प्रयास कर सकती है।
- iii. किसी भी षड्यंत्र, बोली रिंगिंग या अप्रतिस्पर्धी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है।
- iv. खरीद एजेंसी द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग, जिसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।
- v. बोलीदाता और खरीद एजेंसी के किसी भी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन, जो टैंडर या अनुबंध के निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित है: जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद एजेंसी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
- vi. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या धमकी देने का कोई बलप्रयोग।
- vii. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिट में बाधा डालना।
- viii. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना;

(क) हितों के टकराव की घोषणा नहीं की।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ उप-धारा 9 (A) (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पूर्व अपराध या किसी सार्वजनिक खरीददार संस्थान/संस्था द्वारा निष्कासन की घोषणा नहीं की।

(II) बैंक की राय में निष्कासन के लिए उचित कारणों जैसे अप्रत्याशित सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य छोड़ देना, कार्य की अप्रत्याशित गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि के कारण बोलीदाता द्वारा किए गए किसी अन्य कार्य या अनुपस्थिति के लिए।

(III) यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है - (अ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ब) भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत, जिससे सार्वजनिक खरीद अनुबंध के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति की हानि हुई हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हुआ हो।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने योग्यता मानदंडों की अनुसूची और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है और वे मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर तथा मुहर

पता:

तिथि:

## बोली मूल्यांकन मानदंड

### 1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग- I) मूल्यांकन

क. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन MSTC पर बोलीदाता द्वारा जमा किए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

ख. बैंक बोलीदाताओं की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण/जानकारी/दस्तावेज मांग सकता है।

ग. बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसा स्पष्टीकरण/जानकारी/दस्तावेज प्रदान न करने पर, ऐसे बोलीदाता की बोली रद्द की जा सकती है।

घ. बैंक द्वारा अनुरोध न किए जाने पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. ग्राहक द्वारा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप से डाक या ईमेल के माध्यम से होनी चाहिए।

### 2. मूल्य बोली (भाग- II) मूल्यांकन

क. मूल्य बोली का मूल्यांकन केवल उन बोलीदाताओं के लिए किया जाएगा जो टैंडर दस्तावेज में उल्लिखित "टैंडर में भाग लेने के लिए योग्यता मानदंड" को पूरा करते हैं और इसके संबंध में MSTC पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करते हैं।

ख. बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना तथा बोलीदाताओं की योग्यता के लिए, बैंक अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से बोली के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

ग. ऐसे स्पष्टीकरण में विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल होना चाहिए (जिसमें डॉग हैंडलर्स के यूनिफॉर्म की लागत, स्निफर कुत्तों और डॉग हैंडलर्स के प्रशिक्षण और परीक्षण, स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स के चिकित्सा परीक्षण, उपचार और टीकाकरण, ठेकेदार का लाभ एवं ओवरहेड, श्रमिक मुआवजा नीति, ठेकेदार के सभी जोखिम नीति, परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, फ्रेट शुल्क, ट्रांजिट बीमा और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं) और सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती हैं, यदि लागू हो, तथा उपरोक्त वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं/प्रदाताओं से प्राप्त उद्धरणों के साथ समर्थित होना चाहिए।

घ. ऐसे प्रस्तुत स्पष्टीकरण की जांच के बाद, यदि बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें अकार्यात्मक/अव्यवहार्य पाई जाती हैं, तो बैंक को ऐसी बोली को तुरंत अस्वीकार करने का अधिकार है।

ङ. बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसा स्पष्टीकरण प्रदान न करने पर, ऐसे बोलीदाता की बोली रद्द की जा सकती है।

च. ग्राहक द्वारा अनुरोध न किए जाने पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण विचार नहीं किया जाएगा।

छ. ग्राहक द्वारा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप से डाक या ईमेल के माध्यम से होनी चाहिए।

ज. मूल्य बोलियों का मूल्यांकन MSTC पोर्टल पर उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा।

झ. बैंक द्वारा टेंडर में पहले से उल्लिखित निश्चित दरों पर कोई विचलन अनुमत नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दरें उद्धृत करने वाली बोलियां तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी और L1 बोलीदाता के निर्धारण के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं की जाएगी।

झ. भाग II टेंडर के खुलने के बाद किसी भी दर या शर्त में किसी भी परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट. यदि दो या अधिक बोलीदाता सबसे कम बोली लगाने वाले बन जाते हैं, तो सफल बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से, सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाताओं का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा:

मानदंड 1- अतीत अनुभव (स्निफर कुर्तों और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में) मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा भाग-I टेंडर के साथ जमा किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र और सबसे पुराने कार्य आदेश/अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।	
---	--

5-10 वर्ष	10 अंक
10-15 वर्ष	15 अंक
15-20 वर्ष	20 अंक
> 20 वर्ष	25 अंक

मानदंड 2- पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा भाग-I टेंडर के साथ जमा किए गए टर्नओवर प्रमाणपत्र, ITR, लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट के आधार पर किया जाएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।	
--	--

24.5 लाख - 1 करोड़	10 अंक
1 करोड़ - 5 करोड़	15 अंक
5 करोड़ - 10 करोड़	20 अंक
> 10 करोड़	25 अंक

मानदंड 3- रोल्स पर कार्यरत मानव संसाधन की संख्या बोलीदाताओं को अपने दावे के समर्थन में सबसे नवीनतम EPF/ESIC विवरण प्रदान करना होगा, जब भी अनुरोध किया जाए।	
--	--

04- 10	10 अंक
--------	--------

11- 25	15 अंक
26- 50	20 अंक
> 50	25 अंक

मानदंड 4- हाथ में विद्यमान समान कार्यों की संख्या

बोलीदाताओं को अपने दावे के समर्थन में कार्य आदेश/अनुबंध, TDS प्रमाणपत्र और बैंक स्टेटमेंट प्रदान करना होगा, जो दावा किए गए कार्य के खिलाफ भुगतान प्राप्ति दर्शाता हो, जब भी अनुरोध किया जाए।

1-3	10 अंक
4-5	15 अंक
6-10	20 अंक
> 10	25 अंक

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वालों का मूल्यांकन करने के बाद, सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को टेंडर प्रक्रिया में सफल घोषित किया जाएगा। हालांकि, बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा और इसके लिए न्यायाधिकरण उपलब्ध नहीं होगा।

i. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अपने विवेक से किसी भी या सभी बोलियों को, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी कारण बताए बिना स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

m. टेंडर और मूल्य भाग । (तकनीकी बोली) खोलने की तारीख से शुरू में 3 महीने की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे टेंडरदाता और टेंडरर के बीच लिखित सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस अवधि के दौरान टेंडरर टेंडर को रद्द या वापस नहीं ले सकता है या उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।

n. यदि टेंडरर वैधता अवधि के दौरान बोली वापस लेता है, तो टेंडरर द्वारा जमा किया गया EMD बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने बोली मूल्यांकन मानदंड पढ़े और समझे हैं और उपरोक्त सभी शर्तों को भी पढ़ा और समझा है और यह सभी हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगे।

टेंडरर के हस्ताक्षर तथा मुहर

पता:

तारीख:

**(Bank reserves the right to further modify/revised/change the content of the agreement)**

यह करार बैंगलुरु में वर्ष दो हजार छब्बीस के .....महीने के .....दिन एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुम्बई में तथा एक कार्यालय बैंगलुरु में है, जो श्री श्रीमती काया त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु- 560001 द्वारा प्रतिनिधित्व है (जिसे इसके बाद “बैंक” कहा गया है) तथा दूसरे भाग के रूप में ..... (प्रोपराइटर/ पार्टनर्शिप फर्म/ कम्पनी का नाम), जो कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है और जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता ..... है, जिसका प्रतिनिधित्व ..... (इसके बाद “ठेकेदार” कहा गया है) के द्वारा किया जा रहा है, जो अपने निदेशक मंडल द्वारा यह करार संपादित करने के लिए प्राधिकृत है के बीच निष्पादित किया गया है।

This AGREEMENT is made at Bengaluru on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, Two Thousand Twenty-Six between Reserve Bank of India, a statutory body established under the RBI Act, 1934, having its Central Office at Fort, Mumbai, and one of its Offices at Bengaluru, represented by its authorized officer Ms. Kaya Tripathi, Regional Director, Reserve Bank of India, Bengaluru-560001. (hereinafter called “the Bank”) on the one part and \_\_\_\_\_ (proprietorship/partnership firm/ Company), incorporated under the provisions of the Companies Act (in case of a Company) and having its registered office at \_\_\_\_\_ (hereinafter called “the Contractor”) represented by Shri ..... who is authorized to enter this agreement by its Board of Directors on the other part.

जबकि बैंक बैंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में हैंडलरों के साथ खोजी श्वान की सेवाएं उपलब्ध करवाने के वार्षिक सेवा अनुबंध” के लिए एक ठेकेदार नियोजित करने के लिए इच्छुक है और संबंधित कार्य की आवश्यकताओं और विनिर्देशों का निर्धारण बैंक के प्रबंधक के द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन कर लिया गया है।

AND WHEREAS the Bank has intention of engaging a contractor for Annual Service Contract for Providing services of Sniffer Dogs with Handlers at Bank's Main Office Building of Reserve Bank of India, Bengaluru has caused requirements and specifications describing the works to be done to be prepared by or under the direction of Bank's Manager.

तथा जबकि बैंक ने पात्र ठेकेदारों से बैंगलुरु में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में हैंडलरों के साथ खोजी श्वान की सेवाएं उपलब्ध करवाने के वार्षिक सेवा अनुबंध” के कार्य, जैसा कि निविदा के साथ संलग्न कार्य का दायरा और अन्य दस्तावेज में दर्शाया गया था, के लिये निविदा आमंत्रित किये थे।

AND WHEREAS the Bank had called for tenders from eligible contractors for the work of Annual Service Contract for Providing services of Sniffer Dogs with Handlers at Bank's Main Office Building at Bengaluru as indicated in the scope of work and other documents attached to the tender.

तथा जबकि, तथाकथित शर्तों को एतद द्वारा दोनों पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षरित किया गया है।

AND WHEREAS the said conditions have been signed by or on behalf of the parties hereto.

तथा जबकि ठेकेदार इसमें उल्लिखित “नियम और शर्तें”, “निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें”, “कार्य का दायरा” और बाकि सभी शर्तों (इसके बाद समग्र रूप से “उल्लिखित शर्तें” कहा गया है) को पालन करने और इसके अधीन रहने पर सहमत है तथा उक्त मात्राओं की सूची में उल्लिखित कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर भुगतान के लिए देय (अब इसे “अनुबंध राशि” कहा जाएगा) राशि पर उक्त कार्यों का निष्पादन करने के लिए सहमत है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the Conditions set forth herein, and to the General Instructions to Tenderers' and Special Conditions of the Contract, Terms and Conditions of Contract, Scope of Work and Schedule of Quantities set forth in the tender document, (all of which are collectively hereinafter referred to as “the said Conditions”) the works shown upon in the said Schedule of Quantities at the respective rate therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as “the said Contract Amount”).

**A.अब निम्नानुसार सहमति बनी है :**

**NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS**

1. यह करार \_\_\_\_\_ से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगा और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं के अनुसार वार्षिक रूप से दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, के, , जब तक कि इसे इसके अधीन शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद, वार्षिक आधार पर, समान नियमों और शर्तों पर किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियम और शर्तें और इस संदर्भ में जारी किये गये कोई स्पष्टीकरण (शुद्धिपत्र) इस करार के भाग माने जायेंगे और सभी पक्षों पर लागू होंगे। जब भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत मुख्य आयुक्त (केंद्र सरकार) द्वारा वॉच एंड वार्ड के लिये नियुक्त श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की जायेगी, नवीन मजदूरी दरों के अनुसार अनुबंध मूल्य में वृद्धि/ बढ़ोतरी की जायेगी। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद वार्षिक आधार पर समान नियम एवं शर्तों पर किया जा सकता है। अनुबंध के वार्षिक नवीनीकरण के दौरान, कुत्ते के भोजन, दवा आदि सहित 02 खोजी कुत्तों को उपलब्ध कराने के लिए सामग्री घटक शुल्क के साथ-साथ सेवा शुल्क को सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

This agreement will come into effect from \_\_\_\_\_ and will remain in force up to March 31, 2027 and annually extendable up to two more years, subject to mutual consent of both parties, satisfactory services rendered by the Contractor, unless it is terminated as per the terms hereinafter contained. The renewal of the contract can be done after the expiry of the contract period, on an annual basis, on the same terms and conditions. The terms and conditions contained in the tender document and any clarifications (corrigenda) issued shall be treated as part and parcel of this agreement and shall be binding on the parties. Whenever the notification regarding increase in minimum wages payable to for employees employed in Watch and ward (without arms) duties is issued by Chief Commissioner (Central Government)

under the provision of Minimum Wages Act 1948, escalation/increase will be given in the contract value as per the revised minimum wages. The renewal of the contract can be done after the expiry of the contract period, on an annual basis, on the same terms and conditions. During Annual renewal of the contract, the material component charges for providing 02 Sniffer Dogs including Dog's food, medicine etc. as well as Service Charges may be escalated/increased on the basis of increase in CPI inflation.

2. ₹ XXXXXXX.XX (केवल मूल्य बोली में उल्लेख किया जाना है रुपये मात्र) का प्रभार श्रमशक्ति, हैंडलरों की वर्दी और खोजी श्वानों के भोजन व दवाई आदि के लिये प्रयुक्त सामागियों के सहित होगा और इसका भुगतान मासिक आधार पर बिल/ चालान जमा करने पर किया जायेगा। सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान किए जाने की पुष्टि पर बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद इस प्रभार का भुगतान किया जाएगा, जिस पर वैधानिक कटौतियाँ लागू होंगी।

The charges of Rs.XXXXXXX.XX (Rupees to be mentioned in price bid only) will be inclusive of manpower and materials required for uniform articles to the handlers employed, food and medicines for Sniffer dogs etc. and shall be payable on monthly basis subject to submission of bill/invoice. The payment thereon will be made after the same is duly certified by the Bank's officials to the effect that the services have been provided satisfactorily, subject to statutory deductions.

3. बैंक ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि अथवा अन्य ऐसी देय राशि का भुगतान उल्लिखित शर्तों में दर्शाए संख्या और तरीके के आधार पर करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

4. यह प्रभार अपरिवर्तनीय हैं और श्रमिकों की स्थिति, विनिमय में बदलाव या ऐसी किसी अन्य परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होगी।

The charges are firm and not subject to labour conditions, exchange variations or any other condition whatsoever.

5. उपर्युक्त प्रभार में जीएसटी, बीमा प्रभार और अन्य कर, शुल्क या अन्य लेवी समाहित हैं, भले ही वह वर्तमान में लागू हों अथवा भविष्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वसूले जाएँ।

The above charges also include GST, Insurance Charges and any other tax and duty or other levy, whether existing or levied in future by the Central Government or the State Government or any local authority.

6. ठेकेदार नियमित आधार पर कार्य के दायरे और अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिये जिम्मेदार रहेगा।

The contractor shall be responsible for providing services on regular basis as per the scope of work and terms and conditions of the contract.

7. उल्लिखित शर्तों में “बैंक के प्रबंधक/ प्रबंधक/ प्रभारी प्रबंधक” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी अथवा बैंक के किसी अन्य उत्तराधिकारी से होगा जिसे बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किया जायेगा और वह “बैंक के प्रबंधक/ प्रबंधक/ प्रभारी प्रबंधक” के रूप में कार्य करेगा।

The term “Bank’s Manager/Manager/Manager-in-Charge” in the said Conditions shall mean the officer entrusted or any other successor of the Bank nominated by the Bank for that purpose will function as “Bank’s Manager/Manager/Manager-in-Charge”.

8. भारतीय रिजर्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए प्रशासन और व्यवस्था बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से करेगा, जिसमें बिलों का प्रमाणीकरण, भुगतान, अनुबंध के विभिन्न नियमों और शर्तों का क्रियान्वयन, कार्यों का निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्रियों की गुणवत्ता, और अनुबंध की प्रगति और समाप्ति शामिल होंगे।

The Reserve Bank of India will administer and arrange for supervision of works through the Bank’s staff including certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract, execution of the work, quality of work.

9. उल्लिखित शर्तों को इस करार की संरचना के भाग के रूप में पढ़ा और माना जाएगा, और अब दोनों पक्ष इनका पालन और उल्लिखित शर्तों के को पूरा करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे और उसमें निहित शर्तों के अपने हिस्से का पालन करेंगे।

The said conditions shall be read and construed as forming part of this agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

10. इसमें वर्णित सभी आयोजनायें, करार और दस्तावेज इस अनुबंध की संरचना का आधार बनेंगे।

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract.

11. इस करार के अंतर्गत बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल बैंगलुरु में ही किए जायेंगे।

All payments by the Bank under this Contract will be made only at Bengaluru.

12. इस करार से उत्पन्न होने वाले और किसी भी प्रकार से इससे सम्बंधित सभी विवादों को बैंगलुरु में उत्पन्न होना माना जायेगा और इसका निर्धारण सिर्फ बैंगलुरु के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Bengaluru and only Courts in Bengaluru shall have jurisdiction to determine the same.

13. यह कि इस अनुबंध के विभिन्न भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है। बैंक के प्रबंधक से जब तक लिखित निर्देश नहीं दिए जाते, तब तक ठेकेदार निविदाओं में उल्लिखित मात्राओं से अधिक मात्रा के लिए भुगतान का हकदार नहीं होगा।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor. The Contractor shall not be entitled for the payment for the quantities

beyond the tendered quantities unless ordered for by specific written instructions from the Bank's Manager.

**14. अप्रकटीकरण खंड** - इस करार के संबंध में दायित्वों के निर्वाहन के क्रम में ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ सिस्टम/ उपकरणों आदि जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और वह इस गोपनीयता का हमेशा कड़ाई से पालन करेगा। संविदा के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए या लागू कानूनों के पालन के लिए आवश्यक बातों को छोड़कर ठेकेदार संविदा के द्वारों को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार बैंक के पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी औद्योगिक या तकनीकी पेपर में प्रकाशित, प्रकाशित करने के लिए अनुमति या कार्य के किसी द्व्यारे की जानकारी साझा नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के साझा होने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसा नहीं कर पाने को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनों उपाय लेने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित उपाय करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी के नॉन-डिस्क्लोज़र के संबंध में दायित्वों का पूर्णतः संतोषजनक रूप से पालन हो रहा है। नॉन डिस्क्लोज़र और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

**Non-Disclosure Clause:** The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment's etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank. The Contractor shall indemnify the Bank for any loss suffered by the Bank as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason."

**15. मुझे ----- (प्रोपराइटर/ पार्टनर्शिप फर्म/ कम्पनी का नाम)** को बैंगलुरु में बैंक के कार्यालय मुख्य भवन में हैंडलरों के साथ खोजी श्वान की सेवाएं उपलब्ध करवाने के वार्षिक सेवा अनुबंध अवार्ड किया गया है, मैं वचन देता हूं कि इस कार्य के लिए मेरे द्वारा नियोजित सभी स्टाफ को सौंपे गए उक्त कार्य को पूरा करने के संबंध में उस दर से मजदूरी का भुगतान करूंगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में निर्धारित दर से कम नहीं होगा और सीएलआरए अधिनियम 1970 के तहत निर्धारित आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करूंगा। साथ ही, यदि उक्त दर पर मजदूरी या आवश्यक सुविधाएं

उपलब्ध कराने में विफल होने पर सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मुख्य नियोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई पहल की जाती है तो उन सभी कार्रवाइयों के लिए मैं मुख्य नियोक्ता की प्रतिपूर्ति करूँगा।

I ----- (Name of proprietorship/partnership firm/ Company), that the Annual Service Contract for Providing services of Sniffer Dogs with Handlers at Bank's Main Office Building at Bengaluru has been awarded to me, I undertake to actually pay wages to each staff to be engaged by me for completion of the said work awarded to me at the rate which is not less than the one prescribed under the Minimum Wages ACT 1948 and to ensure compliance of essential amenities as provided under the CLRA Act 1970 and also keep the Principle Employer indemnified against all the actions that may be initiated against the Principle Employer by the Statutory Authorities for his failure to pay such wages and provide the essential amenities.

16. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुपालन

Compliance under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

क) "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार / एजेंसी ही जिम्मेदार होंगे। बैंक परिसर में उनके कर्मचारियों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आने की स्थिति में, ऐसे मामलों को ठेकेदार / एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति में दर्ज किया जाएगा और ठेकेदार / एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

The Contractor / Contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employees within the premises of the bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor / Contractor and the Contractor / Contractor shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the complaints.

ख) ठेकेदार की किसी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की जाती है तो उसका निपटान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा।

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

ग) यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा बैंक की किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है तो पौँडित कर्मचारी को दिए जाने वाले मौद्रिक मुआवजे का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the Contractor is proved.

घ) यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबन्धित मामलों से अपने कर्मचारियों को शिक्षित करें।

The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

ड) ठेकेदार द्वारा बैंक परिसर में नियोजित किए गए सभी कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

The Contractor shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Bank's premises.

बैंक और ठेकेदार निम्न साक्षी की  
उपस्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज पर दो  
अनुलिपियों में उपर्युक्त उल्लिखित  
दिन और वर्ष पर हस्ताक्षरित

यदि ठेकेदार साझेदार  
या व्यक्ति है

बैंक निम्न साक्षी की उपस्थिति में  
प्रस्तुत दस्तावेज पर अपने अधिकृत  
अधिकारी के माध्यम से और ठेकेदार  
इन दस्तावेजों पर अपनी सामान्य  
मुहर लगाकर उपर्युक्त उल्लिखित दिन  
और वर्ष पर हस्ताक्षरित

यदि  
ठेकेदार कंपनी है

### हस्ताक्षर खंड

निम्न के हाथों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द

श्री .....

(नाम और पदनाम)

.....

..... की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

.....  
.....

साक्षी

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द .....  
.....

1) .....

पता .....

2) .....

पता .....

यदि पक्ष साझीदारी फर्म या व्यक्ति है, सभी द्वारा या सभी साझेदारों के पक्ष में हस्ताक्षर किए जाने हैं।

----- तारीख को  
आयोजित बैंठक में निदेशक मंडल द्वारा पारित  
संकल्प के अनुरूप एतदद्वारा कॉमन मुहर लगाया  
गया

की उपस्थिति में

1 ( )

2 ( )

की उपस्थिति में जिन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित

(1) .....

(2) .....

यदि ठेकेदार अपने कॉमन मुहर के  
नीचे हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर  
खंड उनके समझौता ज्ञापन के मुहर  
खंड से मेल करना चाहिए।

ठेकेदार पॉवर ऑफ अटर्नी के द्वारा  
हस्ताक्षर कर रहा है चाहे वह कंपनी  
हो या व्यक्ति

निम्न के हाथों ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और  
सुपुद्द  
श्री .....  
एवं विधिवत संगठित ऑटर्नी

IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

If the contractor is a partnership or an individual.

IN WITNESS WHEREOF the Bank has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said duplicate/ has caused these presents and the said two duplicate here of to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

If the contractor is a company.

#### Signature Clause

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of  
Shri

*(Name and designation)*

In the presence of

(1)

Address

(2)

Address

Witness

SIGNED AND DELIVERED by

In the presence of

(1)

If the party is partnership firm or an individual should be signed by all or on behalf of all the partners.

Address

(2)

Address

Witness

THE COMMON SEAL OF

Was hereunto affixed pursuant to the  
resolutions passed by its Board of  
Directors at the meeting held on  
\_\_\_\_\_ in the  
presence of

ectors who have signed these presents in  
en thereof in the presence of

If the Contractor signs under  
its common seal, the  
signature clause should tally  
with the sealing clause in the  
Articles of Association.

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor  
the hand of Shri  
\_\_\_\_\_ and  
y constituted attorney.

If the Contractor is signing by  
hand of power of Attorney,  
whether a company or  
individual.

## ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें

1. आरबीआई बैंगलुरु में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी) में स्निफर कुत्तों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य की अनुमानित लागत लगभग 10.54 लाख रुपये है और कार्य का दायरा निम्नलिखित से शामिल होगा (नीचे दी गई सूची सूचकात्मक है और व्यापक नहीं है)

(i) एजेंसी को एमओबी में 02 स्निफर कुत्ते और 02 प्रशिक्षित हैंडलर प्रदान करने होंगे, जो बैंक द्वारा दिए गए कर्तव्य अनुसूची के अनुसार होंगे, जिनमें लैब्राडोर को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया ऊपर दिए गए कार्य के दायरे को देखें।

(ii) किसी भी समय, 01 कुत्ता कर्तव्य पर होगा और दूसरा कुत्ता कार्यालय परिसर के भीतर उपलब्ध कुत्ते के केनल में उपलब्ध रहेगा।

(iii) एजेंसी को कुत्तों के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तनों को देखने में सक्षम प्रशिक्षित हैंडलरों की सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। हैंडलरों को अत्यंत अनुशासित और विनम्र व्यवहार वाले होना चाहिए, और उनके आपराधिक इतिहास की पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(iv) कुत्तों को भोजन और पानी तथा हैंडलरों को भोजन/टिफिन/रिफ्रेशमेंट प्रदान करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। कुत्तों के भोजन के ब्रांड रॉयल कैनिन/इल्स प्रीमियम/पेडिग्री प्रीमियम होंगे।

(v) स्निफर कुत्तों को सभी प्रकार के विस्फोटकों, जैसे आरडीएक्स, टीएनटी, बारूद, पीईके (सूची व्यापक नहीं है) का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनकी दक्षता को प्रारंभिक तैनाती के समय तथा उसके बाद नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल और वास्तविक आश्चर्य जांच के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्धारित और जांचा जाना चाहिए। एजेंसी ऐसे प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखेगी और जब भी पी&एस अधिकारियों द्वारा मांगा जाए, उन्हें प्रस्तुत करेगी। एजेंसी स्निफर कुत्तों के नियमित प्रशिक्षण के लिए साइट पर निष्क्रिय विस्फोटक नमूना किट प्रदान करेगी।

(vi) आरबीआई में स्निफर कुत्तों और हैंडलरों की तैनाती से पहले, एजेंसी को किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी या उनकी प्रशिक्षण सुविधा से स्निफर कुत्तों और हैंडलरों के लिए दक्षता परीक्षण करवाना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि स्निफर कुत्ते और हैंडलर सभी संबंधित पहलुओं में उनके कर्तव्यों के लिए उपयुक्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। प्रमाणपत्र में विशेष रूप से कुत्ते की आज्ञापालन और सूंघने की क्षमता के स्तर का उल्लेख होना चाहिए।

(vii) कुत्तों की आयु छह वर्ष से कम होनी चाहिए और वे पशु चिकित्सकों द्वारा शारीरिक फिटनेस और घाण अंगों के परीक्षण के अधीन होने चाहिए।

(viii) एजेंसी को कुत्तों और हैंडलरों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने होंगे जब वे सेवा में तैनात किए जाएं और वार्षिक आधार पर भी यह बताना होगा कि वे ऐसी किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो उनके कार्य को बाधित कर सकती है और कुत्ते नियमों/अनुसूची के अनुसार टीकाकरण किए गए हैं।

एजेंसी प्रत्येक कुत्ते के लिए साइट पर चिकित्सा कार्ड भी रखेगी जिसमें टीकाकरण और नियमित चिकित्सा जांच के विवरण होंगे।

(ix) स्निफर कुत्तों का प्राथमिक कार्य कार्यालय भवन और कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों को सैनिटाइज करना होगा। जब भी बैंक के सुरक्षा गार्ड उपलब्ध होंगे, वे हैंडलरों की सहायता करेंगे ताकि परिसर का सैनिटाइजेशन किया जा सके।

(x) एजेंसी द्वारा तैनात किए गए कुत्ते के हैंडलर अनुशासित होने चाहिए और कार्य के दौरान या बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए।

(xi) यदि कुत्ता या हैंडलर बीमारी/अस्वस्थता के कारण कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सकता है, तो एजेंसी उसी क्षमता और योग्यता वाला उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदान करेगी। यदि एजेंसी स्निफर कुत्ते और हैंडलर की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तो एजेंसी को देय किराए के अनुपात में समान राशि की वसूली की जाएगी या पीबीजी को लागू किया जाएगा।

(xii) यदि परिसर में तैनात हैंडलर अवकाश पर जाता है, तो एजेंसी समय रहते उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदान करेगी।

(xiii) हैंडलरों को कंपनी/एजेंसी यूनिफॉर्म और जूते में ठीक से वेशभूषा करनी चाहिए। उन्हें बैंक द्वारा जारी आगंतुक पास भी अपने शरीर पर पहनना चाहिए। ठेकेदार हर साल इस कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों के लिए अपने खर्च पर दो जोड़ी यूनिफॉर्म प्रदान करेगा। यूनिफॉर्म में शामिल होगा:

क. आधी आस्तीन वाली शर्ट जिस पर "स्निफर डॉग हैंडलर" और ठेकेदार का लोगो अंकित होगा

ख. पूर्ण पैंट,

ग. सुरक्षा जूते,

घ. मोजे,

ड. सर्दियों के लिए जर्सी/स्वेटर जिस पर "स्निफर डॉग हैंडलर" और ठेकेदार का लोगो अंकित होगा

च. बरसात के मौसम के लिए रेनकोट/छाता

छ. कुत्तों के लिए रेनकोट/सर्दियों के लिए वस्त्र।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंगलुरु का इस बाबत कोई भी दायित्व नहीं होगा। यूनिफॉर्म बैंक द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

(xiv) कुत्तों को बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कर्तव्य के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बैंक कुत्तों का उपयोग अपने किसी भी परिसर को सैनिटाइज करने के लिए कर सकता है। बैंक हर संभव प्रयास करेगा ताकि ऐसे अन्य परिसरों तक कुत्तों को ले जाने की व्यवस्था की जा सके। यदि बैंक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो एजेंसी किसी भी उपयुक्त परिवहन माध्यम का उपयोग करेगी।

(xv) अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और कुत्तों और हैंडलरों को हुई चोट के लिए कोई मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(xvi) एजेंसी द्वारा तैनात कुत्तों से किसी भी व्यक्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे किसी भी कार्य के लिए एजेंसी ही एकमात्र जिम्मेदार होगी जिससे मानव जीवन को नुकसान हो सकता है।

(xvii) एजेंसी को संबंधित सरकारी अधिकारियों से फर्म का पंजीकरण/लाइसेंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। एजेंसी को जानवरों की सुरक्षा और जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने से संबंधित सभी कानूनों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

(xviii) कुत्तों की देखभाल और केनल की रखरखाव/सफाई तथा बैंक के परिसर में किसी भी कचरे की सफाई एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

(xix) कुत्तों/हैंडलरों के लिए चिकित्सा आपातकालीन सहायता एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(xx) कुत्तों और हैंडलरों को हर 06 महीने में एक बार रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुत्तों के कौशल को बढ़ाना और उनकी कमियों को दूर करना है।

(xxi) एजेंसी बैंक में तैनात कुत्ते के हैंडलरों को कंपनी पहचान पत्र जारी करेगी।

(xxii) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त कुत्ते के हैंडलर अपना कार्य वफादारी और उचित तरीके से करें। ठेकेदार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक नियमित रूप से परिसर के भीतर आकस्मिक दौरे करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं।

(xxiii) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त कुत्ते के हैंडलरों को किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक मुकदमा नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी/श्रमिक का पूर्ण जैविक आंकड़ा, जिसमें पासपोर्ट आकार की तस्वीर शामिल होगी, बैंक को सौंपा जाना चाहिए। ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह उसके द्वारा नियुक्त सभी कुत्ते के हैंडलरों के लिए पुलिस सत्यापन की व्यवस्था करे। ठेकेदार बैंक के परिसर में उन्हें नियुक्त करने से पहले सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए पुलिस स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा, सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए नवीनीकृत पुलिस स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(xxiv) ठेकेदार को कम से कम महीने में एक बार और/या जब बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से मुख्य कार्यालय भवन में निर्धारित अधिकारी (प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी) के पास जाना होगा ताकि बेहतर समन्वय और/या प्रदर्शन समीक्षा की जा सके।

(xxv) कर्मचारियों/श्रमिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में, ठेकेदार को केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य कानूनी दायित्वों (यानी कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या समकक्ष आदि) के प्रावधानों का पालन करना होगा और हर महीने बैंक को भुगतान के प्रमाण (हैंडलरों के बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और उनके भविष्य निधि, बीमा प्रीमियम जमा के दस्तावेज) प्रस्तुत करने होंगे।

(xxvi) एजेंसी बिल हर महीने बिना विलंब के जमा करेगी। बिलों की जांच के बाद यदि वे सही पाए जाते हैं, तो बिल एनईएफटी के माध्यम से निपटाए जाएंगे।

(xxvii) अनुबंध की अवधि के दौरान दरें अपरिवर्तित रहेंगी और एजेंसी अनुबंध अवधि के दौरान सहमत शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं मांगेगी। जब भी केंद्र सरकार के मुख्य आयोग के अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत अस्त्र रहित चौकीदारी के लिए नियुक्त कर्मचारियों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है, तो अनुबंध मूल्य में न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि/एस्केलेशन दी जाएगी। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद वार्षिक आधार पर, समान शर्तों और प्रावधानों पर किया जा सकता है। अनुबंध के वार्षिक नवीनीकरण के दौरान, 02 स्निफर कुत्तों के लिए सेवा शुल्क, कुत्तों के भोजन, दवाएं आदि के लिए सामग्री घटक शुल्क में सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि के आधार पर एस्केलेशन/वृद्धि की जा सकती है।

(xxviii) यदि एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो लिखित नोटिस जारी किया जाएगा और बिल से आनुपातिक रूप से राशि काट ली जाएगी।

(xxix) बैंक को किसी भी समय, अनुबंध की समाप्ति से पहले, एक महीने की नोटिस देकर अनुबंध रद्द करने का अधिकार है यदि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और ठेकेदार के लिए कोई पत्राचार/मुआवजा दावा बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xxx) यदि राष्ट्रीय अवकाशों पर कुत्ते के हैंडलरों को तैनात किया जाता है, तो एजेंसी द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह खर्च कीमत बोली जमा करते समय शामिल किया जा सकता है।

(xxxi) एजेंसी द्वारा कुत्ते के हैंडलरों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य स्थायी प्रकृति का नहीं है।

(xxxii) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि कुत्ते के हैंडलर को सेवा से हटाते समय सभी सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

(xxxiii) विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति आरबीआई, बैंगलुरु के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना आरबीआई परिसर से कोई संपत्ति बाहर न ले जाएं।

(xxxiv) बैंक के परिसर में कुत्तों के लिए एक केनल है। केनल और बैंक के परिसर के भीतर किसी भी कचरे की सफाई दैनिक आधार पर सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

(xxxv) सेवा प्रदाता सभी उचित सावधानियां बरतेगा ताकि उसके नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कोई अवैध दंगा या अशांतिपूर्ण आचरण या कार्य न हो और आरबीआई, बैंगलुरु के व्यक्तियों और संपत्ति की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(xxxvi) सेवा प्रदाता अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद आरबीआई, बैंगलुरु के परिसर से सभी कुत्तों और हैंडलरों को हटा देगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोई व्यक्ति आरबीआई, बैंगलुरु में किसी भी प्रकार की बाधा/असुविधा/समस्या न उत्पन्न करे, चाहे स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से।

(xxxvii) सेवा प्रदाता का स्थानीय प्रतिनिधि बैंगलुरु में हर समय उपलब्ध होना चाहिए।

(xxxviii) बोलीदाता को स्निफर कुत्ते स्क्वाड की सेवाएं प्रदान करनी होंगी और उसे ऑपरेशनल सिस्टम से परिचित होने के लिए दौरा करने की सलाह दी जाती है। दौरे की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने विभाग का दौरा किया है और टैंडर दस्तावेज जमा करने से पहले ऑपरेशनल स्थितियों से अवगत है।

(xxxix) एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि स्निफर कुत्ता बैंक के किसी भी कर्मचारी, किसी भी आगंतुक या किसी अन्य व्यक्ति/पालतू जानवर को न डसे जब वह बैंक के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा हो। यदि कुत्ता किसी कर्मचारी/आगंतुक/व्यक्ति/पालतू जानवर को डसता है, तो एजेंसी पीडित/उसके मालिक को देय क्षति और/या मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी और बैंक इस मामले में सभी जिम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त होगा।

(xli) आरबीआई, बैंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों पर आकस्मिक जांच करने की स्वतंत्रता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से कर रहे हैं।

(xlii) एजेंसी बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों को हटाने, पुनर्तैनात करने या प्रबंधित करने से पहले इन-चार्ज (पी&एस) की सहमति लेगी। जबकि एजेंसी सहमत शक्ति बनाए रखेगी, तथापि सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि कुत्ते स्क्वाड को आधुनिक आधार पर नहीं बदला जाए। एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को बैंक के परिसर में तैनात होने पर, वे बैंक द्वारा समझौते में एजेंसी के साथ उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अन्यथा कार्य दंड खंड में उल्लिखित दंड(ओं) लगाए जाएंगे। इस मामले में दंड एजेंसी के बिलों से काटे जाएंगे।

(xliii) नियुक्त कर्मचारियों को बैंक के कर्मचारियों/आगंतुकों आदि के साथ विनम्र और सुखद व्यवहार वाले होना चाहिए और अत्यधिक अनुशासन की छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों को साफ-सुथरे और शानदार वेशभूषा में होना चाहिए और कर्तव्य के दौरान अपने पहचान

पत्र प्रदर्शित करने चाहिए। उनके यूनिफॉर्म आयरन किए गए होने चाहिए और जूते काले और पॉलिश किए गए होने चाहिए।

(xliii) आवेदन करने वाली कंपनी के पास स्निफर कुत्तों के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचा/प्रावधान होना चाहिए। समर्थन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा।

(xlii) विस्फोटक पता लगाने वाले कुत्तों को केनल क्लब ऑफ इंडिया (केसीआई)/रॉयल केनल क्लब ऑफ इंडिया (आरकेसीआई)/नेशनल केनल क्लब ऑफ इंडिया (एनकेसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(xlii) आवेदन करने वाली कंपनी के पास स्निफर कुत्ते सेवाओं में विश्वसनीय पर्यवेक्षण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क होना चाहिए। समर्थन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा।

(xlii) स्निफर कुत्ते के हैंडलर को मैट्रिकुलेशन/10वीं स्टैंडर्ड के बाद सरकार/सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्निफर कुत्ते के हैंडलिंग में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।

(xlii) स्निफर कुत्ते के हैंडलर के पास स्निफर कुत्ते सेवाओं में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

## 2. निविदा दस्तावेज़:

निविदा निर्धारित प्रारूप में दो भागों में जमा की जाएगी, अर्थात् भाग-I और भाग-II।

I. निविदा का भाग - I, बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, बैंगलुरु में स्निफर कुत्तों और उनके हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध निम्नलिखित शामिल करके जमा किया जाएगा:

क. बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज (इसके सभी सुधार, अतिरिक्त आदि सहित) - जिस पर मुहर लगी हो और हस्ताक्षर किए गए हों।

ख. कंपनी/फर्म की मुहर के साथ उस व्यक्ति के नाम पर शक्ति पत्र/अधिकार पत्र जो निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है।

ग. यदि निविदाकर्ता अन्य तकनीकी जानकारी प्रदान करना चाहता है, तो वह भी शामिल करें।

घ. बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी अतिरिक्त शर्त के उल्लेख को अनुमोदित नहीं करता है। हालांकि, यदि निविदाकर्ता कार्य के लिए निविदा जमा करते समय कोई शर्त/स्पष्टीकरण/कवरिंग लेटर शामिल करना चाहता है, तो उसे भाग - I के साथ जमा करना होगा।

II. निविदा का भाग - II कोई शर्त नहीं रखेगा, बल्कि केवल अनुबंध के लिए मूल्य बोली शामिल करेगा जिसका शीर्षक है "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में स्निफर कुत्तों और उनके हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध"। भाग-II में दर्शाए गए मूल्य केवल भारतीय रूपये में होंगे।

III. केवल वे स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनियां जिनके पास संबंधित व्यवसाय में आवश्यक वर्षों का अनुभव है, e-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगी।

IV. यदि कोई भी दस्तावेज लापता है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक अपने विवेक से निविदा को अमान्य मान सकता है। भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

V. प्रत्येक निविदा दस्तावेज को उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो निविदा जमा कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उन्होंने निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश, अनुबंध की सामान्य शर्तें, सामान्य विनिर्देश, विशेष शर्तें आदि के बारे में अवगति प्राप्त कर ली है। यदि निविदा में कोई भी दस्तावेज ऐसे हस्ताक्षरित नहीं है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

VI. फर्म के नाम पर जमा की गई निविदा फर्म के सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी या फर्म के लिए अधिकृत साझेदार द्वारा या कंपनी के मामले में शक्ति पत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। अन्यथा, बैंक द्वारा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

## VII. दरें:

क. दरें MSTC पोर्टल में निर्दिष्ट स्तंभों में अंकों में उल्लिखित की जाएंगी। यदि किसी आइटम के लिए दर निविदा में उल्लिखित नहीं है, तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। निविदा खोलने के बाद किसी भी दर, विनिर्देश या शर्त में परिवर्तन के बारे में कोई सलाह नहीं दी जाएगी।

ख. दरें निश्चित होंगी और अनुबंध की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार के लिए वैध रहेंगी और विनिमय दर, श्रमिक स्थिति या किसी भी अन्य शर्त के अधीन नहीं होंगी।

ग. निविदा में उल्लिखित दरों में न्यूनतम मजदूरी के अलावा ठेकेदार द्वारा कुत्ते के हैंडलर्स को दी जाने वाली मजदूरी और भत्ते, हैंडलर्स के वर्दी की लागत, स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स का प्रशिक्षण और परीक्षण, स्निफर कुत्तों और हैंडलर्स के लिए चिकित्सा परीक्षण, उपचार और टीकाकरण, ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड, श्रमिक/ESIC या समतुल्य प्रतिकर नीति, ठेकेदार की सभी जोखिम नीति, परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, फ्रेट शुल्क, पारगमन बीमा और अन्य प्रशासनिक शुल्क और सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी शामिल होंगे जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा लगाई जाती है (माल और सेवा कर को छोड़कर)। बैंक किसी भी कर (माल और सेवा कर के अलावा), शुल्क या लेवी के बारे में कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।

घ. बैंक के पास सामान्य अंकगणितीय नियमों के अनुसार निविदा में अंकगणितीय या अन्य त्रुटियों को समायोजित करने का अधिकार है।

VIII. **निविदा प्रारूप:** निविदाकर्ता को केवल बैंक द्वारा MSTC पोर्टल पर अपलोड किए गए मूल्य बोली प्रारूप का उपयोग करना होगा। किसी अन्य रूप में जमा की गई मूल्य बोली मान्य नहीं होगी और शून्य और अमान्य मानी जाएगी।

XI. **जानकारी संग्रह और साइट निरीक्षण:** निविदाकर्ता अपनी जिम्मेदारी और अपने खर्च पर निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।

X. **लम्प सम आधार पर जॉब वर्क:** ठेकेदार ध्यान दें कि जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, निविदा लम्प सम आधार पर जॉब वर्क पर आधारित है और उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक जॉब के लिए दरें सही, कार्यात्मक और स्व-समर्थित होनी चाहिए। भाग-II में दी गई मात्राएं कार्य के कुल विस्तार को लगभग दर्शाती हैं, लेकिन किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं और यहां तक कि छोड़ दी जा सकती हैं, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल जाएगा। ऐसे मामले में दावा प्रो रेटा आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ध्यान दिया जाता है कि स्निफर कुर्ताओं के लिए दवाओं और भोजन के लिए उल्लिखित दरें कार्यात्मक और स्व-समर्थित होनी चाहिए।

XII. **अयोग्यता - लापता और अहस्ताक्षरित दस्तावेज:** निविदा फॉर्म (सभी संलग्नकों सहित) अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज लापता है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक अपने विवेक से निविदा को अमान्य मान सकता है।

3. **अंतिम तिथि:** किसी भी परिस्थिति में 24 फरवरी, 2026 10:00 बजे के बाद कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

#### 4. **निविदा खोलना:**

क) भाग-I की निविदाएं MSTC पोर्टल पर 24 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे ऑनलाइन खोली जाएंगी। (यदि यह दिन अवकाश है, तो निविदाएं बैंक के अगले कार्य दिवस पर खोली जाएंगी)

ख) बैंक पर निविदाकर्ता द्वारा दी गई किसी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है; निविदाकर्ता उन सभी शर्तों को वापस ले लेंगे जो बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।

ग) बैंक के पास भाग - I या भाग-I और भाग - II दोनों के खोलने के बाद भी प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार है।

घ) भाग-II की निविदा एक बाद की तिथि पर खोली जाएगी, जो पहले से योग्य निविदाकर्ताओं को सूचित की जाएगी।

5. **निविदा की वैधता:** निविदा और मूल्य भाग-। खोलने की तिथि से शुरू होकर शुरू में 3 महीने के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप से पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता निविदा रद्द या वापस नहीं ले सकता या उद्धृत दरों में परिवर्तन नहीं कर सकता।

6. **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार:** भारतीय रिजर्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अपने विवेक से किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है, बिना किसी कारण बताए। जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह अपनी निविदा जमा करने से संबंधित किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और खर्च का दावा नहीं कर सकता है, भले ही बैंक को निविदा संशोधित/वापस लेने का अधिकार हो।

7. **अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर:** बैंक से अपनी निविदा के स्वीकार की सूचना प्राप्त करने पर, सफल निविदाकर्ता 14 दिनों के भीतर ड्राफ्ट समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में मानी जाएगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता निर्धारित 14 दिनों की अवधि के भीतर बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं। जब तक अनुबंध समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया जाता, बैंक कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। समझौता दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति बैंक के पास रहेगी और दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी। समझौता आवश्यक स्टैम्प पेपर (महाराष्ट्र राज्य में लागू स्टैम्प शुल्क के बराबर मूल्य वाले) पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टैम्प शुल्क का भार पूर्णतः ठेकेदार पर होगा।

8. **अनुबंध की अवधि और समीक्षा:** अनुबंध की प्रारंभिक अवधि केवल 31 मार्च, 2027 तक है। यदि प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो अनुबंध जारी रखा जा सकता है। ठेकेदार के प्रदर्शन पर त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। यदि पहले तीन महीनों के भीतर कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो 07 दिनों की नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

9. **अनुबंध अवधि के दौरान ईमानदारी धन और प्रदर्शन गारंटी।**

क) **प्रतिभागियों को टैंडर दस्तावेज़ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंगलुरु के पक्ष में NEFT/DD के रूप में रु. 21,064/- (बीस हजार एक सौ चौंसठ मात्र) की ईमानदारी धन जमा (EMD) जमा करनी होगी। EMD के बिना प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की EMD, सफल बोलीदाता को अनुबंध देने के 10 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल MSTC ऑनलाइन पोर्टल पर सभी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। अधूरे टैंडर अस्वीकृत किए जाने के लिए पात्र हैं। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईमानदारी राशि, प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा जमा करने के बाद जारी की जाएगी। बोलीदाताओं को मांग ड्राफ्ट के स्थान पर बैंक गारंटी के रूप में EMD जमा करने की अनुमति है। ईमानदारी धन जमा/बोली सुरक्षा के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप अनुबंध IV में दिया गया है।**

ख) **EMD/सुरक्षा जमा से कटौती:** इस अनुबंध के शर्तों के अनुसार बैंक को ठेकेदार द्वारा देय सभी मुआवजा या अन्य राशियां, यदि ऐसी राशि अनुमति देती है, तो उसके ईमानदारी धन और

सुरक्षा जमा से काटी जा सकती हैं, और ठेकेदार को, जब तक ऐसी जमा अन्यथा देय न हो, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर ऐसी कटौती की राशि को पूरा करना होगा।

ग) **प्रदर्शन (बैंक) गारंटी:** सफल ठेकेदार को अनुबंध राशि के 5% के बराबर PBG, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के पक्ष में, अनुबंध के आवंटन के 14 दिनों के भीतर बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है। PBG अनुबंध समाप्ति की तारीख से 60 दिन अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एजेंसी द्वारा जमा किया गया PBG, एजेंसी के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या किसी भी हानि/क्षति के मामले में जब्त या अधिग्रहण किया जा सकता है, जो RBI, बैंगलुरु को उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों की विफलता या लापरवाही के कारण हुई हो, या अनुबंध की शर्तों और प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में। बोलीदाता को अनुबंध स्वीकृति/कार्य आदेश प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर बैंक के साथ स्टैम्प पेपर पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा अनुबंध स्वीकृति/कार्य आदेश जारी करना एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, मानो ऐसा अनुबंध पहले से ही निष्पादित हो चुका हो और इस अनुबंध पर सभी शर्तों और प्रतिबंध लागू होंगे। PBG का जमा करना टैंडर में निर्दिष्ट अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में PBG जमा करने में देरी होने की स्थिति में, PBG जमा करने में देरी के लिए ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर शुल्क वसूल किया जाएगा। ऐसे ठेकेदार का EMD, PBG प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा।

घ) उपरोक्त उल्लिखित प्रदर्शन गारंटी कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने तक वैध रहेगी और यदि कोई विस्तारित पूर्णता समय हो, तो ठेकेदार द्वारा उस अवधि तक नवीनीकृत की जानी होगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी पालन नहीं करता है, तो बैंक बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर गारंटी को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा। गारंटी को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद जारी किया जाएगा।

10. **भुगतान की शर्तें:** इस अनुबंध के तहत निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान मासिक आधार पर NEFT के माध्यम से ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर किया जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भुगतान के तरीके में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। देय राशि वास्तविक/प्रो-राता आधार पर होगी, संतोषजनक सेवा के अनुसार, इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवा में कमी के लिए किसी भी वसूली को घटाकर। बिल GST प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति, जो कि फर्म द्वारा उचित रूप से प्रमाणित की गई हो, भुगतान के लिए बिल के साथ जमा की जानी चाहिए:

- i. कृत्ते के प्रशिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
- ii. सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए गए कार्य की रिपोर्ट
- iii. बैंक स्टेटमेंट जो न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को दर्शाता है (श्रमिकों/कामगारों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए।)
- iv. PF/ESI के लिए भुगतान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि लागू हो।

v. प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सेल द्वारा निर्देशित किसी अन्य लॉगबुक/दस्तावेज।

यह ध्यान देने योग्य है कि ठेकेदार पहले कुत्ते के प्रशिक्षकों को मजदूरी का भुगतान करेगा और फिर कुत्ते के प्रशिक्षकों को मजदूरी के भुगतान के सबूत के साथ उसके बराबर के भुगतान के लिए बिल जमा करेगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. **अतिरिक्त कार्य:** बैंक की सहमति के बिना किसी भी अतिरिक्त कार्य का दावा अनुमत नहीं होगा। ऐसे किसी भी अतिरिक्त कार्य को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

i. जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य मूल टेंडर में मूल्यांकित कार्य के समान चरित्र और समान परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है, वहां अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन के लिए मूल टेंडर में शुद्ध दरें या मूल्य निर्धारित करेंगे।

ii. सभी आइटमों के लिए दरें, जहां संभव हो, टेंडर के भाग-II में दिए गए मूल्य बोली से निकाली जानी चाहिए।

12. **विलंबित भुगतान:** बैंक द्वारा ठेकेदार को इस कार्य के लिए किसी भी बिल के अनुसार देय राशि, यदि बिल ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है और बिल को गणना के अनुसार सही पाया गया है और सहमत दरों के अनुसार और उपरोक्त खंड 10 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया गया है, तो यदि मासिक बिलों के मामले में 30 कार्य दिवसों के भीतर और अंतिम बिल के मामले में तीन महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर पर ब्याज ले जाएगा। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि यदि भुगतान में देरी का कारण ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों का ठेकेदार द्वारा जमा न करना है या बैंक द्वारा चालान या उसमें उल्लिखित कार्य के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए ठेकेदार द्वारा अनुत्तर है, तो बैंक द्वारा किसी भी परिस्थिति में ब्याज नहीं दिया जाएगा।

13. **जीएसटी दायित्व:** सभी कराधान योग्य कटौतियां (जीएसटी के तहत टीडीएस सहित) स्रोत पर काटी जाएंगी। टेंडरकर्ता के पास जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। MSTC पोर्टल पर ॉनलाइन उद्धृत दरें जीएसटी के बिना होंगी। जीएसटी की गणना कुल मासिक शुल्क पर अतिरिक्त की जाएगी ताकि अनुबंध लागत निर्धारित की जा सके और वास्तविक आधार पर लागू होने वाले अनुसार भुगतान किया जाए। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक चालान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आइटमों के लिए वर्तमान दर पर लगाए गए जीएसटी शामिल होंगे। भुगतान के लिए दावों को प्रस्तुत करते समय ठेकेदार के लिए अपने कर दायित्व के विवरण को खुलासा करना अनिवार्य है, अर्थात् करयोग्य मूल्य और लागू कर, जीएसटी परिषद द्वारा जारी निर्धारित बिल प्रारूप/अनुसूची में, संयुक्त या वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू है। बैंक सेवा प्रदान करने वाले ठेकेदार द्वारा लगाए गए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ठेकेदार का दायित्व है कि वह कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करे।

14. **कर:** उद्धृत मूल्यों में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर, कार्य अनुबंध कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर आदि शामिल माने जाएंगे, जो केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाते हैं। यदि टेंडरकर्ता ने ऐसे करों और शुल्कों को टेंडर में शामिल नहीं किया है, तो बैंक बाद में ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर स्रोत पर काटा जाएगा और ठेकेदार को इसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

15. **मूल्य वृद्धि खंड:** जब भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत चीफ कमिश्नर (केंद्र सरकार) द्वारा वॉच एंड वार्ड (बिना हथियारों) के कर्तव्यों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है, तो अनुबंध मूल्य में संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि/एस्केलेशन दी जाएगी। अनुबंध के वार्षिक नवीनीकरण के दौरान, 02 स्निफर कुत्तों के लिए सामग्री घटक शुल्क, जिसमें कुत्तों का भोजन, दवा आदि शामिल है, और सेवा शुल्क, सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि के आधार पर एस्केलेट/बढ़ाए जा सकते हैं।

16. **ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मचारियों (कुत्ते के प्रशिक्षकों) को भुगतान:**

- i. टैंडरकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह सभी कर्मचारियों, जिनमें कुत्ते के प्रशिक्षक भी शामिल हैं, को केवल बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।
- ii. बैंक को अपने विवेक से टैंडरकर्ता से इस शर्त के पालन के संबंध में साक्ष्य मांगने का अधिकार होगा।
- iii. ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य वैधानिक दायित्वों (अर्थात् कर्मचारी प्रावधान कोष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या इसके समकक्ष आदि) के प्रावधानों का पालन करना होगा और इसके संबंध में भुगतान के प्रमाण बैंक को जमा करने होंगे। (इसमें कर्मचारी प्रावधान कोष, ईएसआईसी प्रीमियम और मजदूरी के भुगतान के संबंध में बैंक खाता विवरण शामिल होने चाहिए)।
- iv. यदि राष्ट्रीय अवकाशों पर कुत्ते के प्रशिक्षक तैनात किए जाते हैं, तो एजेंसी द्वारा उन्हें उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए खर्च/व्यय एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। इसे मूल्य बोली जमा करते समय लेखा में शामिल किया जा सकता है।

17. **बीमा**

क) सफल टैंडरकर्ता ठेकेदार अपने खर्च पर, एक मंजूरी प्राप्त कार्यालय के साथ पूरे अनुबंध के लिए निम्नलिखित बीमा नीति को प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, जो नियोक्ता और उसके नाम पर जोड़ी गई होगी, जिसमें नियोक्ता पहला (प्रमुख) होगा, और अनुबंध की अवधि के दौरान ऐसी नीति या नीतियां नियोक्ता के पास जमा करेंगे।

- i. मानक सभी जोखिम नीति के अनुसार ठेकेदार के लिए सभी जोखिम।
- ii. साइट पर तैनात सभी कार्यकर्ताओं के लिए ईएसआईसी या समकक्ष/श्रमिक मुआवजा नीति।
- iii. निम्नलिखित विवरणों के अनुसार तीसरे पक्ष की देयता नीति:
  - व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के लिए - प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना ₹2.00 लाख।
  - संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए - प्रति दुर्घटना ₹5.00 लाख।

वर्तमान बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र सीमा के अधीन।

**नोट:** ये नीतियां कार्य के पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर ये नीतियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक ₹1000 प्रति दिन का मौद्रिक जुर्माना लगा सकता है और बैंक अपने आप उपरोक्त बीमा नीतियां ले सकता है और उनकी लागत को ठेकेदार के बिल से वसूल सकता है।

ख) ठेकेदार को बैंक को व्यक्ति या इमारत या तीसरे पक्ष को नुकसान या हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी जो कार्य के निष्पादन के दौरान हो सकती है। ठेकेदार अपने या किसी नामित कर्मचारियों के संचालन या लापरवाही से उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली चोट और संपत्ति को होने वाले सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या अन्य किसी भी कारण से हो, जो कार्य के निष्पादन से किसी भी तरह से जुड़ा हो। यह खंड इमारतों को नुकसान, चाहे वे तुरंत आसपास हों या अन्यथा, और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को नुकसान, और इस अनुबंध के विषय के रूप में बने इमारतों और कार्यों को नुकसान, जो ठंड या मौसम की अन्य कठिनाइयों से हो सकता है, को शामिल करने के लिए माना जाएगा। ठेकेदार बैंक को ऐसी चोट या नुकसान के कारण उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और इसके अलावा भारत सरकार के किसी भी अधिनियम या अन्य रूप से चोट या नुकसान के संबंध में किसी भी दावे के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या क्षतिपूर्ति के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा।

**नोट:** ये नीतियां कार्य के पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार ये नीतियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक अपने आप उपरोक्त बीमा नीतियां लेने और उनकी लागत को ठेकेदार के बिल से वसूल करने या PBG रद्द करने का अधिकार रखता है।

#### ग) ठेकेदार के कर्मचारी:

i. ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी अप्रत्यक्ष उपाय उठाएगा, रिज़र्व बैंक किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और ठेकेदार बैंक के लिए उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति करेगा।

ii. ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्धारित सभी परिचालन नियम और विनियमों, जिनमें सुरक्षा और अनुशासन नियम शामिल हैं, का पालन करना होगा, जो उस सभी या भाग भवनों पर लागू हैं, जहां ठेकेदार या उसके कर्मचारी संचालन/कार्य कर रहे हैं। यदि ठेकेदार के कर्मचारियों में से कोई भी उपरोक्त नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है या बैंक के लिए किसी भी तरह से आपत्तिजनक हो जाता है, तो ठेकेदार तुरंत ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर से हटा देगा और ऐसे नियमों और विनियमों के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

iii. ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारियों में से कोई भी ड्यूटी पर या अन्यथा बैंक के परिसर के भीतर नशे में न हो या नशीले पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ, धूमपान आदि का सेवन न करे। ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को हटा देगा जो बैंक की राय में अनुचित आचरण का दोषी है, या

किसी भी तरह से सेवा के लिए अनुपयुक्त या अनुपयुक्त है। ठेकेदार हमेशा बैंक को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या इसके तहत के नियमों या किसी भी कानून या नियमों के तहत किसी भी दावे के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, जो इस समझौते के उद्देश्य के लिए उसके रोजगार में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुर्घटना या चोट के कारण हो सकता है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक और अन्य बकाया राशियों के लिए, और उनके द्वारा किए गए अनुचित या अनुचित कार्यों के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा।

iv. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों को बैंक के कर्मचारियों, अतिथियों आदि द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई अधिकार/दावा नहीं होगा।

v. यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि ठेकेदार के कर्मचारियों का बैंक के साथ कोई कर्मचारी-नियोक्ता या मालिक-सेवक संबंध नहीं होगा।

घ). ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि:

i. बैंक द्वारा ठेकेदार को जारी किए गए सभी निर्देश, दिशानिर्देश और विनिर्देश ठेकेदार द्वारा उसके कर्मचारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से संचारित किए जाएं।

ii. ठेकेदार के कर्मचारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी निर्देश, दिशानिर्देश और विनिर्देश का सख्ती से पालन किया जाए ताकि बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे।

iii. ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों और/या कर्मचारियों का कोई भी कार्य वर्तमान कानूनों और विनियमों का उल्लंघन न करे। ठेकेदार किसी भी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा जिसके खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कोई शिकायत दर्ज है। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से सत्यापन की जाएगी और इस संबंध में एक अनुबंध बैंक में जमा किया जाएगा।

iv. ठेकेदार के कर्मचारियों को बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों या कॉलोनियों में रहने वाले अतिथियों से किसी भी आकार में कोई धन या पुरस्कार मांगने या स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

v. ठेकेदार को अपने कार्यबल के लिए चिकित्सा जांच करानी चाहिए। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मचारी किसी भी संक्रामक या संचारी बीमारी से मुक्त हों और उनके नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे, जो एक बार सालाना किया जाएगा। इस संबंध में लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी और बैंक द्वारा नहीं। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य बैंक को कर्मचारी के कार्य शुरू करने के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा रूप से अनुपयुक्त या अनुपयुक्त पाया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उसे तुरंत सेवा से हटा दिया जाना चाहिए और उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक यदि आवश्यक समझे तो ठेकेदार के कर्मचारियों की चिकित्सा जांच कर सकता है और ठेकेदार को उस व्यक्ति को हटाना चाहिए जो नौकरी के लिए चिकित्सा रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है और एक

उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में बैंक द्वारा लगने वाली कोई भी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

vi. सेवा प्रदाता को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से पंजीकरण/लाइसेंस का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। वे जानवरों की सुरक्षा और जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने से संबंधित सभी लागू कानूनों के पालन का सुनिश्चित करेंगे। RBI किसी भी वर्तमान कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

vii. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, सेवा प्रदाता 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को एजेंसी में नियुक्त नहीं करेगा।

18. **बैंक की संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी:** अनुबंध प्राप्त करने वाली फर्म, बैंक के परिसर या किसी व्यक्ति या निवासी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से फर्म द्वारा प्रदान की गई गतिविधि के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। ठेकेदार द्वारा बैंक की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार के खर्च पर की जानी होगी, अन्यथा उसे ठेकेदार को देय राशि से काट लिया जाएगा।

19. **निर्धारित हानि/जुर्माना:** निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा:

क. यदि दैनिक आधार पर निर्धारित अवधि के लिए आवश्यक सेवाओं की संख्या उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो बैंक अनुबंधित सेवाओं/कार्य के अभाव और/या सेवा की अवधि (घंटों में) की कमी के संबंध में अनुपात से हानि वसूल करेगा।

ख. इसके अलावा, यदि सेवाओं में कमी के कारण बैंक और उसके अधिकारियों को गंभीर असुविधा होती है, तो बैंक उचित जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग. लगाए गए निर्धारित हानि/जुर्माना अनुबंध मूल्य के 10% तक सीमित होंगे और ठेकेदार के मासिक भुगतान से या PBG रद्द करके वसूल किए जाएंगे।

घ. ठेकेदार को अनुभवी कुत्ते के प्रशिक्षकों की तैनाती करनी होगी। यदि कुत्ते के प्रशिक्षक अनुभवहीन पाए जाते हैं, तो ठेकेदार तुरंत ऐसे कर्मचारियों को बदल देगा। ठेकेदार द्वारा अनुभवी कर्मचारियों की तैनाती न करने पर, ठेकेदार द्वारा ₹1000/- (केवल एक हजार रुपये) प्रति कर्मचारी प्रति दिन की दर से मुआवजा देय होगा। बैंक का यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा कि क्या कोई विशेष कर्मचारी आवश्यक अनुभव रखता है।

ङ. तैनात किए गए स्निफर कुत्ते शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से देखभाल किए जाने चाहिए। यदि कुत्ते अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर ₹2,000/- प्रति कुत्ता प्रति दिन का जुर्माना लग सकता है।

20. **अनुबंध समाप्त करने का अधिकार:** बैंक को अनुबंध को अवधि से पहले भी रद्द करने का अधिकार है, यदि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, बशर्ते एक महीने का नोटिस दिया जाए। इस संबंध में

बैंक का निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार/मुआवजा दावे पर विचार नहीं करेगा।

21. **अनुबंध कर्मचारियों के प्रति अनुशोचना और दायित्व:** ठेकेदार अपने कुत्ते के प्रशिक्षकों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न जोखिम के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा। बैंक कुत्ते के प्रशिक्षकों के प्रति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

22. **कार्य की प्रकृति:** ठेकेदार द्वारा कुत्ते के प्रशिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से किया जाने वाला कार्य स्थायी प्रकृति का नहीं है।

23. **अनुबंध श्रमिक लाइसेंस:** यदि लागू हो, तो अनुबंध श्रमिक (1970 का अधिनियम) के अनुसार केंद्रीय श्रम अधिकारियों से आवश्यक अनुबंध लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

24. **अनुबंध श्रमिकों का आचरण:** ठेकेदार कुत्ते के प्रशिक्षकों के आचरण और अच्छे व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा और यदि किसी कर्मचारी/श्रमिक के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ठेकेदार उसकी तुरंत हटाने और बैंक के परिसर से प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेगा।

25. **अनुबंध कर्मचारियों का पूर्व इतिहास और पुलिस सत्यापन:** ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त कुत्ते के प्रशिक्षकों को किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है/उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक मामला नहीं है। प्रत्येक कुत्ते के प्रशिक्षक का पूर्ण जीवन-वृत्त, जिसमें पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी शामिल है, बैंक को सौंपा जाना चाहिए। बैंक के परिसर में तैनात करने से पहले ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कुत्ते के प्रशिक्षक का पुलिस सत्यापन बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार वार्षिक आधार पर पुलिस स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित करेगा और नवीनीकृत पुलिस सत्यापन/स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र बैंक को वार्षिक रूप से बिना विलंब के सौंपा जाना चाहिए। ठेकेदार इस बात का भी सुनिश्चित करेगा कि किसी ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाते समय सभी सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

26. **महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन:** ठेकेदार/एजेंसी अधिनियम “महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में उसके कर्मचारियों के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा किसी यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाने पर, बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति उस पर विचार करेगी। यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को किसी भी मौद्रिक राहत के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने सभी कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

27. **विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा:**

क) अनुबंध या कार्य के निष्पादन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य के दौरान या उसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के समाप्ति या त्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक को सौंपे जाएंगे और उसके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र या अन्य रूप में हो सकता है। बैंक का निर्णय उन सभी मामलों के संबंध में अंतिम और अपील योग्य नहीं होगा। लेकिन यदि ठेकेदार किसी मामले से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना दे सकता है कि विवादित मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का विवरण दिया जाना चाहिए जो विवाद में हैं या जिनके बारे में ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष के लिए एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में नामित करेंगे।

ख) मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, को उन मामलों को फिर से खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार होगा जो उपरोक्त खंड में उल्लिखित अपवादित मामलों के अलावा हों, और उन सभी मामलों का निर्णय करना होगा जो मध्यस्थता के लिए सौंपे जाएंगे और जिनके बारे में ऊपर बताए अनुसार सूचना दी गई हो।

ग) मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, को एक वर्ष के भीतर (या यदि पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जाए तो उस अवधि के भीतर) संदर्भ पर अपना निर्णय देना होगा। यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान पक्ष आपस में अपने विवाद या मतभेद का निपटारा कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा अपनी संयुक्त समझौता स्मारक दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, उस समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय देंगे।

घ) ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय से संबंधित लागत के निर्णय का अधिकार मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के पास होगा, जो उनकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या उन्हें पक्षों के बीच टैक्स के रूप में निर्धारित करने का निर्देश दे सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं कि किसके द्वारा और किसे और किस तरह से उन्हें वहन और भुगतान किया जाए।

इ) यह समर्पण भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी सांविधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए समर्पण माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, का निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति की जाती है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए सौंपे जाने के कारण कार्य के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि सभी आवश्यक सावधानी के साथ कार्य करता रहेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय दिए जाने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, का कोई भी निर्णय ठेकेदार को अपने कार्य के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार यहां सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई का एक पूर्व शर्त होगी।

28. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम / नियम और अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम / नियम और अन्य लागू कानून/नियम/अधिसूचनाओं की आवश्यकताओं का अनुपालन

क) ठेकेदार को अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत स्वयं पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी होगी, जब भी आवश्यक हो। ठेकेदार अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के सभी संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा, उनके तहत निर्धारित सभी रिकॉर्ड रखेगा और श्रम आयुक्त (केंद्र) के कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए रिकॉर्ड भी रखेगा।

ख) ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार अपने श्रमिकों को भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम / नियम / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड रखेगा।

ग) ठेकेदार अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950, और संबंधित श्रम और सामान्य कानून/नियम और अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज, रजिस्टर और रिकॉर्ड रखेगा और बैंक या उसके अधिकारियों और श्रम आयुक्त (केंद्र) या उन कानूनों/नियमों के तहत ऐसे अधिकारों से संपन्न किसी अन्य सांविधानिक प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

घ) ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी दरों में किए गए किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने और उन परिवर्तनों को तत्काल लागू करने और अपने श्रमिकों को उनके अनुसार मजदूरी का भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखेगा और बैंक को इस विकास के बारे में बिना देरी के सूचित करेगा और आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा।

इ) CLRA अधिनियम के तहत, जिसमें मजदूरी का भुगतान और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुबंध की शर्तों के अलावा, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होने वाली दर पर सभी श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने और CLRA अधिनियम के तहत आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान का पालन करने के लिए एक अनुबंध देने के लिए एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक प्रतिज्ञा दे, ताकि यदि विशेष नौकरी/कार्य/परियोजना उसे सौंपी जाती है, तो वह उस विशेष नौकरी/कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सभी वर्ण के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होने वाली दर पर मजदूरी भुगतान करने का वादा करे और CLRA अधिनियम के तहत आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करे और साथ ही सिद्धांत नियोक्ता को स्थानीय अधिकारियों द्वारा उसके द्वारा मजदूरी भुगतान न करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान न करने के लिए उठाए जाने वाले सभी कार्रवाई से बचाए रखे।

च) भुगतान जारी करने से पहले, ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने वार्ड की गई नौकरी/कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सभी वर्ण के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होने वाली दर पर सभी बकाया राशियों का भुगतान किया है और CLRA अधिनियम के तहत अनुबंध श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधानों

का पालन किया है। ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच बैंक द्वारा नामित सहायक प्रबंधक/प्रबंधक (गैर-तकनीकी) द्वारा की जाएगी, जो मुख्य नियोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त और विभिन्न ठेकेदारों द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित रहने के लिए अधिकृत हैं।

छ) ठेकेदार को उसके श्रमिकों के लिए लागू श्रम कानूनों की सभी सांविधानिक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन, अनुपालन और कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी होगी, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, पीएफ का भुगतान, ईएसआई अधिनियम, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, बोनस अधिनियम (यदि लागू हो) आदि और अपने खर्च पर सभी सरकारी दायित्व।

ज) ठेकेदार को लागू श्रम कानूनों और अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों के अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने की जिम्मेदारी होगी और बैंक, ठेकेदार की ओर से किसी भी कार्य, अनुपस्थिति या अधिकार के संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में बैंक या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

झ) बैंक में अनुबंध कार्य को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधानिक योगदान के प्रेषण का प्रमाण, प्रत्येक माह दावा बिल के साथ बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा दावा बिल निपटाया नहीं जाएगा।

ज) ठेकेदार को लागू वेतन संहिता, 2019 (वेतन संहिता), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (IR संहिता), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (SS संहिता) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSH संहिता, वेतन संहिता, IR संहिता और SS संहिता के साथ सामूहिक रूप से, श्रम संहिताएं), पीएफ/श्रम कानून, ईएसआई, किसी भी अन्य विनियम, विधि, कानून के अनुपालन में असफलता के कारण किसी भी दावे के लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

29. **गोपनीयता:** ठेकेदार को इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंधित दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरणों को सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करना होगा और उन्हें हमेशा सर्वोच्च गोपनीयता के साथ रखना होगा। ठेकेदार को अनुबंध के विवरणों को निजी और गोपनीय मानना होगा, जब तक कि इसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो। ठेकेदार को बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य कहीं भी कार्यों के किसी विशेष विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। ठेकेदार को गोपनीय जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करनी होगी। उपरोक्त के अनुपालन में विफलता ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा। ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाने होंगे ताकि इस अनुबंध के तहत गोपनीय जानकारी के गोपनीयता के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। ठेकेदार के गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित दायित्व इस अनुबंध के समाप्त होने या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे, चाहे वह किसी भी कारण से हो।

30. **अनुबंध का सब-लीजिंग:** ठेकेदार को मात्रा की अनुसूची के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी होंगी, बैंक किसी भी प्रकार की सहायता जैसे श्रमिक/सामग्री आदि नहीं देगा। ठेकेदार को बैंक की लिखित सहमति

के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को किसी भी तीसरे पक्ष को असाइन या सब-लीज नहीं करना होगा और कोई भी अनुबंध ठेकेदार को अनुबंध के पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों के दौरान उनके निरीक्षण से मुक्त नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस दे सकता है जिससे अनुबंध रद्द हो जाएगा और उसके सुरक्षा जमा को बैंक के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा, ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों के बिना किसी अवरोध के।

**31. अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग:** सफल टैंडरकर्ता को बैंक द्वारा अन्य कार्यों के लिए नियुक्त ठेकेदार/ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि कार्य बिना किसी देरी के और बैंक की संतुष्टि के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

**32. बैंक की संपत्ति:** यदि कार्य के दौरान या कार्य के दौरान कोई खजाना, जीवाश्म, खनिज या प्राचीन रुचि के कला के कार्य पाए जाते हैं, तो ठेकेदार को ऐसी खोज की तुरंत सूचना देनी होगी और ऐसी खोज को बैंक को सौंपना होगा। ठेकेदार को उन्हें आरबीआई को सौंपना होगा और ठेकेदार उनके लिए कोई अधिकार, शीर्षक या हित का दावा नहीं कर सकता।

इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे किसी भी तरह से संबंधित सभी विवाद बैंगलुरु में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल बैंगलुरु के न्यायालयों को उन्हें निर्धारित करने का अधिकार होगा।

**33. किराए के अधिकार** इसमें वर्णित कुछ भी ठेकेदार या उसके व्यक्तियों के पक्ष में किसी भी किराए का निर्माण नहीं करेगा और बैंक यहां निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकता है, पुनः प्रवेश कर सकता है और बैंक द्वारा ठेकेदार को अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए प्रदान किए गए हिस्से का अधिग्रहण कर सकता है और उसके कर्मचारियों को बाहर निकाल सकता है। परिसर खाली न करने वाले व्यक्तियों को अतिक्रमणकारी माना जाएगा और उन्हें बाहर निकाला जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।

**34. बल मजबूरी:** यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई पक्ष बल मजबूरी के अधीन हो, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, नागरिक उथल-पुथल, श्रमिकों की स्थानीय उथल-पुथल, या लॉकआउट, कार्य पर नियुक्त किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाला, या आग, प्रकृति के कार्य आदि से गंभीर नुकसान/क्षति के रूप में माना जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष को दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के घटित होने के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार नहीं रखेगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना समाप्त होने या अस्तित्व खत्म होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन घटना के कारण एक समझौते की अवधि से अधिक या सात दिनों, जो भी अधिक हो, तक रोका या विलंबित किया जाता है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

**35. यदि** इस टैंडर दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के अर्थ में कोई अस्पष्टता, असंगति या विरोध हो, तो अंग्रेजी संस्करण प्राधिकारिक माना जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होगा। सभी शर्तें, प्रावधान और दायित्व अंग्रेजी पाठ के अनुसार व्याख्या किए जाएंगे, और कानूनी या अनुबंध व्याख्या के लिए हिंदी अनुवाद पर कोई भरोसा नहीं किया जाएगा।

**36. यह टैंडर दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा होगा।**

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने ऊपर दिए गए ठेकेदारों के लिए निर्देशों को पढ़ा और समझा है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर के साथ पता:

तारीख:

## सुरक्षा कोड

1.	प्रथम चिकित्सा उपकरण, जिसमें स्टराइल ड्रेसिंग और कपास की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, एक आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर रखे जाने चाहिए।
2.	घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होने पर बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाना चाहिए।
3.	नियुक्त कुत्ते के प्रशिक्षकों को सुरक्षात्मक जूते, हाथ के दस्ताने और फेस मास्क प्रदान किए जाने चाहिए।
4.	ठेकेदार को कार्य करने के लिए कुत्ते के प्रशिक्षकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने चाहिए, जैसा कि वैधानिक मानदंडों के अनुसार है।
5.	कार्य के निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी लिए जाने चाहिए।
6.	विक्रेता को कोविड-19 से संबंधित सभी उपाय/सावधानियां लेनी चाहिए, जैसे कि उनके द्वारा नियुक्त कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए हमेशा मास्क पहनना, हाथ बार-बार सैनिटाइज करना आदि, जैसा कि भारत सरकार/राज्य सरकार/बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार है।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है, तो वे मुझे/हमें बाध्य करेंगे।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर के साथ

पता:

तारीख:

वाणिज्यिक शर्तों की जाँच सूची

क्रं Sr.No.	विवरण Description	बैंक की शर्त Bank's terms	क्या निविदाकर्ता को स्वीकार्य है (हाँ अथवा नहीं) Whether acceptable to the tenderer (YES or NO)
1.	बोली की वैधता Bid Validity	निविदा के भाग- । खोलने से तीन माह की अवधि तक 3 months from the date of opening of Part- I of the tender	
2.	बयाना जमा राशि Earnest Money Deposit (EMD)	एनईएफटी/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी के रूप में ₹ 21,064/- EMD of Rs.21,064/- (Rupees Twenty-one thousand Sixty-four only) in form of NEFT/ Demand Draft/ Bank Guarantee.	
3.	निष्पादन गारंटी Performance Guarantee	ईएमडी के अलावा पूरी अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध लागत का 5% बैंक गारंटी के रूप में (केवल सफल बोलीदाता के लिए) 5% of the contract cost for entire contract duration, in addition to EMD, in form of Bank Guarantee (only for the successful bidder)	
4.	दरें Prices	मजदूरी का संशोधन भारत सरकार द्वारा संशोधित मूल न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार हर छह महीने में किया जाएगा। अनुबंध के पूरे कार्यकाल के दौरान उद्धृत लाभ / सेवा शुल्क में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी The revision of the wages shall be done every six months in accordance with the revision in minimum wage rates if any, by Government of India. No change in quoted profit/ service charge will be allowed during the entire tenure of the contract	
5.	दंड Penalty	खंड H - "अनुबंध के नियम और शर्त" के कलाँज 19 के अनुसार	

		In terms of clause 19 of "General Instructions to contractors and Special Conditions"	
6.	ठेके की समाप्ति/ निर्धारण Termination/ Determination of contract	खंड H - "अनुबंध के नियम और शर्त" के क्लॉज 20 के अनुसार In terms of clause 20 of "General Instructions to contractors and Special Conditions"	
7.	भुगतान की शर्त Terms of payment	निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने पर मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। Payment shall be made on Monthly basis on submission of prescribed documents.	
8.	बीमा Insurance	खंड H - "अनुबंध के नियम और शर्त" के क्लॉज 17 के अनुसार In terms of clause 17 of "General Instructions to contractors and Special Conditions"	

मैं/हम यहाँ घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है, तो वे मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगे।

टैक्स के हस्ताक्षर सहित मुहर

पता:

तारीख:

## अनुलग्नक-।

समान कार्यों की सूची

(पिछला अनुभव)

पिछले 5 वर्षों के दौरान फर्म/एजेंसी द्वारा किए गए समान योग्यता वाले कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की प्रकृति एवं विवरण	मालिक का नाम, पता एवं फोन नंबर (सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी निकाय)	उस अधिकारी का नाम, पूरा पता एवं फोन नंबर जिसके अधीन कार्य किया गया	पूर्णता अवधि			क्या कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था या कोई पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त किया गया था	अन्य संबंधित जानकारी, जिसमें कार्य पूर्ण होने में देरी के कारण भी शामिल हैं
					अनुबंध राशि	निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट: आवश्यकता होने पर पृष्ठ अटैच करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी केंद्र में पूर्व अनुभव और कार्य का विवरण अलग से उपरोक्त प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

## अनुलग्नक-II

### बोलीदाता का विवरण

(समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना है)

क्र. सं.	कंपनी/फर्म के विवरण	
1	फर्म का नाम एवं पूरा पता	
2	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट URL	
3	कंपनी का प्रकार, चाहे स्वामित्व, साझेदारी आदि	
4	कंपनी के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों के नाम एवं पता	
5	पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि)/पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, नंबर आदि	
6	आयकर पंजीकरण संख्या (पैन)	
7	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)	
8	प्रोविडेंट फंड पंजीकरण संख्या	
9	ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
10	क्या बोलीदाता 1970 के अनुबंध श्रमिक (रेगुलेशन एंड अबोलिशन) अधिनियम की धारा 12(1) तथा 1971 के अनुबंध श्रमिक अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत लाइसेंस धारक हैं। यदि हाँ, तो लाइसेंस संख्या आदि के विवरण दें एवं प्रति संलग्न करें	
11	ISO-9001 प्रमाणपत्र की तिथि एवं उसकी वैधता अवधि, यदि लागू हो	
12	उस व्यक्ति का नाम, पता एवं पदनाम जो बैंक के साथ व्यवहार करते समय एजेंसी का प्रतिनिधित्व करेगा (अधिकार पत्र संलग्न करें)	
13	अन्य संगठनों के लिए समान सेवाएं प्रदान करने का अनुभव	वर्ष
14	पिछले 3 वर्षों में अन्य संगठनों को प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य	2022-23 2023-24 2024-25
15		2022-23 2023-24

	क्या सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय रूप से स्थिर हैं (पिछले 3 वर्षों का ऑडिट किया गया बैलेंस शीट प्रस्तुत करें)	2024-25	₹
16	यदि किसी मुकदमे में शामिल हैं तो बताएं		
17	यदि किसी आदेश के अनुसार कोई नागरिक मुकदमा लंबित है, तो विवरण दें		

स्थान:

तिथि:

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

## सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक टिम्बर पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदा गया हो)

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

प्रति:

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिजर्व बैंक  
नृपतुंग रोड  
बैंगलुरु- 560001.

महोदया,

“बैंक के कार्यालय भवनों में बैंगलुरु में स्निफर कुर्तूं और हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध”

जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु, (जिसे आगे “आरबीआई” कहा जाएगा) ने उपरोक्त कार्य के लिए अनुबंध (जिसे आगे “अनुबंध” कहा जाएगा) \_\_\_\_\_ (ठेकेदार का नाम) को दिया है (जिसे आगे “उक्त ठेकेदार” कहा जाएगा, जिस शब्द में उसके उत्तराधिकारी और अधिग्रहणकर्ता भी शामिल हैं।

और जबकि ठेकेदार उक्त अनुबंध के अनुसार आरबीआई को ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) की कुल राशि के लिए प्रदर्शन सुरक्षा जमा जमा करने के लिए बाध्य है। हम, \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम), (जिसे आगे “बैंक” कहा जाएगा), एम/एस \_\_\_\_\_, ठेकेदार की अनुरोध पर, यहां आरबीआई को ₹ \_\_\_\_\_ से अधिक नहीं की राशि के रूप में प्रदर्शन गारंटी के रूप में भुगतान करने का वचन देते हैं, जो अनुबंध की शर्तों और शर्तों के अनुपालन के लिए है।

अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि 1. हम \_\_\_\_\_ (शेड्यूल्ड बैंक का नाम) यहां आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, अधिग्रहणकर्ताओं के साथ सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने उक्त निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे लिए भी बाध्यकारी होगा तथा उक्त ठेकेदार के लिए भी, हम आरबीआई के मांग करने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि हमारी ऐसी राशि के खिलाफ दायित्व ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) से अधिक न हो।

2. हम यह भी सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऊपर वर्णित राशि ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) से अधिक नहीं, आरबीआई की मांग पर बिना किसी आपत्ति या विरोध के भुगतान किया जाएगा, बस आरबीआई से लिखित सूचना प्राप्त होने पर जिसमें बताया गया हो कि उन्हें राशि देय है और हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई की सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी और हम किसी भी तरह से उसे चुनौती नहीं देंगे। बैंक आरबीआई को ऐसी मांग की गई राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी अदालत, न्यायाधिकरण या निर्णायक के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित कोई विवाद उठाया गया हो और इस गारंटी के तहत हमारी दायित्व पूर्णतः अनिवार्य और असंदिग्ध होगा। हम ऊपर वर्णित सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व इस गारंटी के तहत आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. हम इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

5. हम यहां आगे सहमत हैं कि:

(क) आरबीआई द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत निर्दिष्ट किसी भी शर्त और शर्तों का पालन करने में कोई अनुदारता या अनुपस्थिति या ठेकेदार को कोई समय या कोई अनुग्रह देना या इससे संबंधित किसी अन्य मामले में कोई भी अनुदारता हमें किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी और हमारा दायित्व इस गारंटी के तहत बना रहेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के पालन से ही समाप्त होगी और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान करने से।

(ख) इन वर्तमान दस्तावेजों के तहत हमारी दायित्व ₹ \_\_\_\_\_ (केवल \_\_\_\_\_ रुपए) से अधिक नहीं होगी।

(ग) इस अनुबंध के तहत हमारी दायित्व बैंक के उक्त ग्राहकों/ग्राहकों के किसी भी अस्थिरता या अनियमितता या उनके दायित्वों के तहत या उनके विघटन या रचना में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

(घ) यह गारंटी \_\_\_\_\_ तक तीन महीने तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे, तो यह गारंटी उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अगले अवधि के लिए इस गारंटी के समान शर्तों और शर्तों पर नवीनीकृत की जाएगी।

(ङ) जब तक इन वर्तमान दस्तावेजों को ऊपर वर्णित अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तब तक हमारी दायित्व समाप्त हो जाएगी, या जब तक हमारे उक्त ग्राहक अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित प्रमाणपत्र अकेला निर्णायक प्रमाण होगा, जो भी तिथि बाद की हो। जब तक कि ऊपर वर्णित खंड (d) के अनुसार या किसी बढ़ाए गए अवधि के भीतर \_\_\_\_\_ महीने के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा या मुकदमा या कार्यवाही दायर नहीं की जाती है, तब तक आरबीआई के पास इस गारंटी के तहत हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके तहत सभी अपने दायित्वों और दायित्वों से मुक्त और मुक्त हो जाएंगे।

साक्ष्य के रूप में मैं/हम बैंक के निर्देशक ने इस गारंटी पर \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ (महीना और वर्ष) को हस्ताक्षर और मुहर लगाई है, जो यहां उचित रूप से अधिकृत है।

बैंक की ओर से और उसके लिए

---

(शेड्यूल बैंक की मुहर)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पद, मुहर/मुहर आदि)

हस्ताक्षरित, मुहर लगाकर और बैंक की ओर से ऊपर वर्णित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित उपस्थिति में सौंपा गया: साक्षी 1

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पता.....

नोट - इस गारंटी पर उस राज्य में लागू डाक शुल्क की आवश्यकता होगी जहां यह निष्पादित की जाती है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जिसके हस्ताक्षर और अधिकार की जांच की जाएगी।

ईमानदारी जमा/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक शामिल कागज पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदा गया हो)

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

प्रति:

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिजर्व बैंक  
नृपतुंग रोड  
बैंगलुरु- 560001.

महोदया,

कार्य का नाम: बैंक के कार्यालय भवनों में बैंगलुरु में स्निफर कुर्तों और उनके हैंडलर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

संदर्भ: एनआईटी/ विज्ञापन संख्या.

दिनांक

जबकि

भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा), ने उपरोक्त कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा जाएगा) और उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तों और प्रावधानों के अनुसार।

निविदा आमंत्रित करने की शर्तों में से एक यह है कि निविदाकार को ईमानदारी जमा (ईएमडी) के रूप में ₹ ..... (रुपये ..... मात्र) की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

मि. (निविदाकार/बोलीदाता का नाम) \_\_\_\_\_, (जिन्हें आगे "निविदाकार/बोलीदाता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक/पार्टी हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमें आरबीआई के प्रति उक्त ईएमडी के लिए ₹ ..... (मात्र रुपये) की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।

अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि

1. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) यहां सहमत हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों और अधिकारियों के साथ यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई का निष्कर्ष है कि निविदाकार ने उक्त निविदा की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे लिए भी बाध्यकारी होगा, तो हम आरबीआई द्वारा मांग के आधार पर, बिना किसी विवाद के, आरबीआई को ₹ (मात्र रुपये) या आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को निविदाकार के द्वारा उक्त शर्तों के अनुसार दायित्वों के पालन के लिए ईमानदारी जमा के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि हमारी उक्त राशि के खिलाफ दायित्व ₹ ..... (मात्र रुपये) से अधिक न हो।

2. हम यह भी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त रूप से ₹----- (मात्र रुपये) से अधिक राशि हम बिना किसी विवाद या आपत्ति के, केवल आरबीआई के लिखित नोटिस प्राप्त करने पर भुगतान करेंगे जिसमें बताया गया हो कि राशि उन्हें देय है, और हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और हम इसे किसी भी रूप या तरीके से प्रशिनत नहीं करेंगे। हम उपरोक्त नोटिस प्राप्त करने के तुरंत बाद आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत हमारा आरबीआई के प्रति दायित्व आरबीआई और निविदाकार के बीच के समझौते या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

हम इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं रद्द करेंगे। हम यहां आगे सहमत हैं कि -

क) आरबीआई द्वारा उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा और/या इसके तहत उल्लिखित किसी भी शर्त और प्रावधानों का पालन करने में या निविदाकार को कोई समय या कोई छूट देने में या इसके संबंध में किसी अन्य मामले में कोई अनुदारता या लापरवाही दिखाना हमें किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत हमारा दायित्व। यह गारंटी केवल निविदाकारों द्वारा उनके दायित्वों के पालन से ही समाप्त होगी और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम द्वारा ₹----- (मात्र रुपये) से अधिक राशि का भुगतान करने से।

ख) इन उपस्थिति के तहत हमारा दायित्व ₹ ----- (मात्र रुपये) से अधिक नहीं होगा।

ग) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त ग्राहकों/पार्टियों के द्वारा उक्त कार्य के लिए निविदा देने में किसी भी अस्थिरता या अनियमितता या उनके दायित्वों में या हमारे उक्त ग्राहकों के विघटन या गठन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी (निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि से छह महीने तक) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो यह गारंटी उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए आगे के अवधि के लिए इसमें उल्लिखित समान शर्तों और प्रावधानों के अनुसार नवीनीकृत की जाएगी।

इ) इन उपस्थिति के तहत हमारा दायित्व तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि इन उपस्थिति को उपरोक्त अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है या जब तक हमारे उक्त ग्राहक अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र अंतिम साक्ष्य होगा, जो भी तिथि बाद की हो। जब तक कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं दायर की जाती है या कोई विस्तारित अवधि नहीं होती है, आरबीआई के इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके तहत अपने सभी दायित्वों और दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे।

आपका विश्वासी,

----- बैंक की ओर से और उनके लिए।

अधिकृत अधिकारी (मुहर के साथ)

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टैम्प इयूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है, और इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जिसके हस्ताक्षर और अधिकार की पुष्टि की जानी चाहिए)।

## अनुलग्नक-V

ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम एवं पता:

श्री/ श्रीमती - ..... द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

1	कार्य का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	
2	अनुबंध संख्या एवं तिथि	
3	अनुबंध राशि	
4	कार्य की शुरुआत की तिथि	
5	निर्धारित समापन तिथि	
6	वास्तविक समापन तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए प्रतिकर (राशि दर्शाएं) यदि कोई हो	
8	पूर्ण किए गए कार्य की कुल राशि एवं भुगतान**	
9	जिन अधिकारियों के अधीन कार्य किए गए, उनका नाम एवं पता	
10	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं)  ii) यदि कोई हो, तो कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
11	i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?  ii) यदि हाँ, तो कुल दावा राशि  iii) कुल प्रदान की गई राशि	
12	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणी  a) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	b) वित्तीय स्थिरता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	c) उपयुक्त उपकरण एवं उपकरणों का आवंटन	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	d) श्रमिकों का आवंटन	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा

ग्राहक के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट:

- i) सभी स्तंभों को उचित रूप से भरना चाहिए एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना चाहिए।
- ii) प्रत्येक पूर्व-अहता कार्य के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- iii) सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- iv) ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के उचित प्रमाण के साथ समर्थित होना चाहिए।
- v) निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र अवश्य जोड़े जाने चाहिए।
- vi) सभी स्तंभों को उचित रूप से भरना चाहिए एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना चाहिए। ग्राहक प्रमाणपत्र ग्राहक के पत्राच्छेद पर होना चाहिए एवं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

## अनुलग्नक-VI

### बैंकरों का विवरण

हमारे बैंकर/बैंकरों का विवरण निम्नलिखित है:

	बैंकर 1	बैंकर 2
बैंकर का नाम		
शाखा का नाम और उसका पूर्ण डाक पता		
संपर्क व्यक्ति का नाम और पद का शीर्षक, उसके टेलीफोन नंबर (s) और फैक्स नंबर (s) आदि के साथ।		
खाते का प्रकार और खाता संख्या		
क्या ठेकेदार द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है।		
ठेकेदार द्वारा बैंकर के साथ बैंकिंग करने की अवधि		
कोई अन्य जानकारी जो ठेकेदार अपने बैंकरों के बारे में देना चाहता है:		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम सहित)

## अनुलग्नक-VII

एक अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप

- फर्म की संरचना (भागीदारी/ निजी सीमित/ स्वामित्व/ सार्वजनिक सीमित क्या है)।
- फर्म के स्वामी/ भागीदारों/ निदेशकों के नाम।
- फर्म का पिछले 3 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर (वर्षवार)।
  - 2024-2025,
  - 2023-2024,
  - 2022-2023
- फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- लेनदेन
- फर्म द्वारा आपके बैंक के साथ बैंकिंग शुरू करने की अवधि।
- अन्य कोई टिप्पणी।

कृपया यह भी बताएं कि उपरोक्त फर्म को 10.75 लाख रुपये के अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपना वित्तीय रूप से विश्वसनीय माना जाता है या नहीं।

(हस्ताक्षर)

बैंक की ओर से नाम और मुहर के साथ

नोट:

- बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, जो क्षेत्रीय निदेशक, P&S सेल, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलुरु को संबोधित हो।
- भागीदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

## अनुलग्नक- VIII

निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिज्ञा

कार्य का नाम: .....

1. मैं/हम ..... (निविदाकर्ता का नाम) घोषणा करते हैं कि

क) मेरा/हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म\* में कोई अवैध गतिविधियों/वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं हैं। मैं/हम किसी अदालत में किसी भी आधार पर दोषी नहीं ठहराए गए हैं। मुझे/हमें लेकर पुलिस/अदालत/नियामक प्राधिकरणों के पास कोई ऐसा मामला नहीं है।

ख) मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म\* के खिलाफ किसी भी अधिकारी द्वारा किसी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया है या कोई दंड नहीं दिया गया है।

ग) मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म\* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा बार किया गया/निलंबित किया गया/काली सूची में डाला गया नहीं है, जैसा कि ..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक है।

या

मैं/हम या हमारी सहयोगी फर्म\* ..... {सहयोगी फर्म(ों) का नाम} भारत या किसी अन्य देश में ..... (सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा बार किया गया/निलंबित किया गया/काली सूची में डाला गया है और यह प्रभावी है .....(तिथि) तक। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की प्रति संलग्न है।

घ) मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म\* ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ ईमानदारी के संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है, जैसा कि .....(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक है।

इ) मैं/हम बैंक को लिखित रूप से सूचित करूंगा/करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी किसी सहयोगी फर्म\* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा बार किया गया/निलंबित किया गया/काली सूची में डाला गया है या बोली के लिए निर्दिष्ट कार्य के लिए अनुबंध आवंटन से पहले है।

ज) मैं/हमने अपने किसी भी ग्राहक द्वारा आवंटित किसी भी अनुबंध को अनुबंध की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले रद्द/त्याग नहीं किया है।

छ) मेरे/हमारे ग्राहकों के साथ मेरे/हमारे विवादों का सभी विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर)

तिथि

स्थान

(नोट: जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

\*सहयोगी फर्म: एक फर्म को "सहयोगी फर्म" माना जाएगा यदि प्रबंधन समान है, या बहुमत या अधिकांश शेयर बैन/निलंबित फर्म द्वारा स्वामित्व में हैं और इसके कारण उसके पास नियंत्रण की आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी सहयोगी फर्म माना जाएगा।

## Annexure- IX

### बायो- डाटा फॉर्म / Bio- Data Form

(to be submitted in letter head of the successful contractor for each Dog Handler employed)

नाम / Name		स्व-सत्यापित पास्पोर्ट साइज़ फोटो लगायें  Affix Self-attested Passport size photograph
पिता का नाम / Father's Name		
जन्म तिथी / Date of Birth		
लिंग / Gender		
शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification		
वर्तमान पता / Current Address		
स्थाई पता / Permanent Address		
मोबाइल नं. / Mobile No.		
आधार नं. / Aadhaar No.		
पैन नं. / PAN No.		
बैंक खाता विवरण / Bank Account Details	खाता संख्या/ Account No.- आई.एफ.एस.सी. कोड/ IFSC Code-	
पी.एफ. (यू.ए.एन.) संख्या / PF (UAN) No.		
ई.एस.आई.सी. (आई.पी.) नं. / ESIC (IP) No.		
भूतपूर्व सैनिक/ Ex-Serviceman	(हाँ Yes / नहीं No)	
शारीरिक मापदंड / Body Parameters	ऊँचाई/ Height- ...., वजन/ Weight- .... नज़र/ Eye sight- (बायाँ/Left) ....(दायाँ/ Right).....	
नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान/ Specimen Signature or Thumb impression		

ऊपर दर्शाये गये विवरण मेरे द्वारा जाँच लिये गये हैं और उपयुक्त दस्तावेजों के साथ समर्थित हैं।

The above details are verified by me and are supported with suitable documents.

ऑफिशियल सील के साथ हस्ताक्षर / Signature with official seal-

अधिकारी का नाम / Name of Official-

पदनाम / Designation-

स्थान / Place-

दिनांक / Date-

इस बायो-डाटा फॉर्म के साथ आधार कार्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त फोटो आईडी कार्ड की प्रति लगानी  
आवश्यक है

It is mandatory to submit Photocopy of Aadhaar Card/suitable photo ID Card with bio-data form.

MSTC पोर्टल पर टेंडर के भाग-1 के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	जमा किया गया (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं*) *लागू न होने के लिए वैध कारण/ अनुबंध प्रदान करें
1	बैंक द्वारा जारी टेंडर दस्तावेज - सभी अनुलग्नकों, पूर्व-बोली बैठक की बैठक के मिनट और यदि कोई हो तो सुधार के साथ भरा हुआ, मुहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित	
2	टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी	
3	EMD राशि ₹ 21,064/- (इक्कीस हजार चौंसठ रुपये मात्र/-) जमा करने के साक्ष्य के रूप में NEFT रसीद/बैंक गारंटी/मांग ड्राफ्ट की प्रति	
4	व्यवसाय आरंभ करने के लिए निगमन प्रमाणपत्र और संविधान एवं अनुच्छेद/साझेदारी विधि/अन्य संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र	
5	टेंडर दाता का विवरण (अनुलग्नक- II में निर्धारित प्रारूप में) और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों/साझेदारों/व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण	
6	पैन कार्ड और अन्य संबंधित आयकर दस्तावेजों की प्रति	
7	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
8	यदि कोई हो, तो MSMED पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
9	EPF पंजीकरण की प्रति	
10	ESIC पंजीकरण की प्रति	
11	1970 के अनुबंध श्रमिक (भर्ती एवं नियमन) अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत और 1971 के अनुबंध श्रमिक अधिनियम की धारा 21 के साथ पढ़ा गया लाइसेंस की प्रति	

12	5 वर्ष से अधिक समय से समान कार्य करने के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाणपत्र	
13	पिछले 5 वर्षों में पूर्ण किए गए समान योग्य कार्यों का विवरण और ग्राहकों के संपर्क विवरण (अनुलग्नक- I में निर्धारित प्रारूप में)	
14	पिछले 5 वर्षों में पूर्ण किए गए सभी समान योग्य कार्यों के लिए कार्य आदेश	
15	पिछले 5 वर्षों में पूर्ण किए गए सभी समान योग्य कार्यों के लिए ग्राहकों के प्रमाणपत्र (अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में) ग्राहक के पत्राच्छेद पर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित	
16	निजी संगठनों द्वारा जारी सभी ग्राहक प्रमाणपत्रों के लिए भुगतान के साक्ष्य के रूप में TDS प्रमाणपत्रों की प्रति	
17	पिछले 5 वर्षों में पूर्ण किए गए सभी समान योग्य कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र	
18	यदि कोई हो, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए किसी भी केंद्र पर कार्य करने के पिछले अनुभव के लिए कार्य आदेश	
19	पिछले 3 वर्षों के लिए ऑडिट किए गए अंतिम खाते और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो पिछले 3 वर्षों के लिए टर्नओवर का संकेत करता है	
20	पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र/आयकर आकलन आदेश/आयकर रिटर्न की प्रतियां	
21	बैंक खातों का विवरण और बैंकरों के संपर्क विवरण (अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में)	
22	बैंक के पत्राच्छेद पर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित बैंकर का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में)	
23	बैंगलुरु में इस व्यवसाय को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी/सांविधानिक अनुमोदन होने का अनुबंध	

24	किसी न्यायालय में दोषी न होने का अनुबंध और किसी भी सार्वजनिक संस्थान द्वारा किसी भी आधार पर निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध के बारे में घोषणा (अनुलग्नक VIII में निर्धारित प्रारूप में)	
25	यदि कोई हो, तो लंबित सभी नागरिक मुकदमों का विवरण	
26	वाणिज्यिक शर्तों और प्रावधानों में यदि कोई विचलन हो	
27	तकनीकी विनिर्देशों में यदि कोई विचलन हो	
28	अन्य संबंधित दस्तावेज, यदि कोई हो 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	

स्थान:

तारीख:

टेंडर दाता के हस्ताक्षर और मुहर के साथ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण पत्र का प्रारूप

(उपर्युक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

प्रति:

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
नृपतुंग रोड  
बैंगलुरु- 560001.

.....

महोदय/महोदया,

..... (कार्य का नाम)

हम ..... (टैंडरकर्ता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) यहां  
घोषणा करते हैं, नियुक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं श्री/श्रीमती .....  
.....dss..... (प्राधिकरण पत्र धारक का नाम और निवास पता) जो वर्तमान में हमारे  
साथ कार्यरत हैं और ..... पद पर कार्यरत हैं, हमारे अधिवक्ता के  
रूप में, हमारे नाम से और हमारी ओर से, उक्त परियोजना के लिए हमारे बोली के संबंध में या उससे  
संबंधित सभी आवश्यक कार्य, कृत्य और चीजें करने के लिए, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और  
उनका प्रस्तुतीकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई  
के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के संबंध में  
हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई के साथ निपटना शामिल है।

हम यहां सहमत हैं कि हमारे उक्त अधिवक्ता द्वारा इस प्राधिकरण पत्र के अनुसार कानूनी रूप से किए  
गए सभी कार्य, कृत्य और चीजों को हम अनुमोदित करेंगे और हमारे उपर्युक्त अधिवक्ता द्वारा किए गए  
सभी कार्य, कृत्य और चीजें हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा माने जाएंगे।

टैंडरकर्ता के हस्ताक्षर/(य)

नाम/(य)

टैंडरकर्ता की मुहर/सील

नोट:

प्राधिकरण पत्र को उचित रूप से स्टैम्प किया जाना चाहिए और नोटरीकृत होना चाहिए

टैंडरकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण पत्र अपरिवर्तनीय होगा।

## भाग- II

### मूल्य बोली

(यह केवल उदाहरण के लिए है, मूल्य बोली भाग । - तकनीकी बोली के साथ जमा नहीं की जानी चाहिए। इसे MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए)

मूल्य बोली प्रारूप: (बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन भरना है)

<p>02 स्निफर कुत्तों के प्रशिक्षकों के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वार्षिक मजदूरी</p> <p>(निर्धारित, नीचे दिए गए गणना के अनुसार)</p>	<p>(A)</p>
<p>02 स्निफर कुत्तों के लिए वार्षिक शुल्क, जिसमें कुत्तों के लिए भोजन, दवा आदि शामिल है, INR में</p> <p>(GST को छोड़कर)</p>	<p>(B)</p>
<p><b>वार्षिक सेवा शुल्क, INR में</b></p> <p>(GST को छोड़कर, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के अनुसार ठेकेदार द्वारा कुत्ते के प्रशिक्षकों को भुगतान की गई मजदूरी और भत्ते, स्निफर कुत्तों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, उपचार और टीकाकरण, ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड, श्रमिक मुआवजा नीति, ठेकेदार की सभी जोखिम नीति, तीसरे पक्ष की देयता बीमा, बोनस भुगतान (यदि लागू हो), परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, फ्रेट शुल्क, पारगमन बीमा और अन्य प्रशासनिक शुल्क और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (GST) को छोड़कर)।</p> <p>यदि कोई फर्म 'शून्य' शुल्क / विचार उद्भूत करती है, तो बोली को अप्रासंगिक माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>नोट: सेवा शुल्क न्यूनतम 3.00% होना चाहिए</p>	<p>(C)</p>
<p><b>वार्षिक कुल शुल्क</b></p>	<p>(D) = (A) + (B) + (C)</p>
<p>वार्षिक कुल शुल्क पर 18% GST</p>	<p>(E) = (D) का 18%</p>
<p><b>वार्षिक कुल अनुबंध मूल्य</b></p>	<p>(F) = (D) + (E)</p>

**केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार स्निफर कुत्ते के प्रशिक्षकों की मजदूरी की गणना:**

क	प्रति दिन मूल वेतन @637/-, 26 दिनों के लिए	₹ 16,562.00
ख	VDA @344/-, 26 दिनों के लिए	₹ 8,944.00
ग	EPF (15,000 का 13%)	₹ 1,950.00
घ	यूनिफॉर्म	₹ 300.00
ड	बीमा	₹ 850.00
च	एक कुत्ते के प्रशिक्षक के लिए मासिक कुल	₹28,606
छ	दो कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए मासिक	₹57,212
ज	दो कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए वार्षिक कुल लागत	₹6,86,544

\* चूंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में स्निफर कुत्ते के प्रशिक्षकों का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है, इसलिए 02 कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए वार्षिक कुल मजदूरी की गणना के लिए वॉच एंड वार्ड कर्तव्यों (बिना हथियारों के) में नियुक्त कर्मचारियों के लिए 26 सितंबर, 2023 को जारी आदेश F. No. 1/ 8(6)/ 2023-LS-II के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को तिया गया है।

**नोट:**

- बैंक द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और इस निश्चित लागत में भविष्य में किसी भी संशोधन (और इसके अनुसार अनुबंध लागत में) की गणना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्निफर कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जाएगी (और ऐसी अधिसूचना में स्निफर कुत्ते के प्रशिक्षकों के लिए कोई अलग वर्गीकरण न होने की स्थिति में, बिना हथियार के पहरे और देखरेख के कार्य में नियुक्त कर्मचारियों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को इस उद्देश्य के लिए माना जाएगा)।
- उपरोक्त दर्शाए गए EPF, ESIC और EDLI योगदान और EPF प्रशासनिक शुल्क की दरें वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और इनका उपयोग निश्चित राशि की गणना के लिए किया जाता है। यदि सरकार द्वारा उपरोक्त दरों में किसी भी संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो निश्चित राशि और इसके अनुसार अनुबंध लागत की पुनर्गणना और संशोधन की जाएगी।
- बैंक अनुमानित दरों, वर्तमान बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम और अन्य आउटपुट लागतों के आर्थिक सूचकांक आदि के संबंध में दरों की उचितता स्थापित करेगा। इसलिए, बैंक अपनी विवेकाधिकार में किसी भी बोलीदाता से उद्धृत दरों की गणना के आधार पर विस्तृत विवरण और तर्क प्रस्तुत करने को कह सकता है।
- उद्धृत दरें विकल्प शुल्क सहित हैं। विकल्प की नियुक्ति के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।

5. एक असामान्य रूप से कम बोली वह है जिसमें बोली की कीमत, बोली के अन्य तत्वों के संयोजन के साथ, इतनी कम प्रतीत होती है कि यह बोलीदाता की प्रस्तावित कीमत पर अनुबंध का पालन करने की क्षमता के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करती हैं। ऐसे मामलों में बैंक बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसमें बोली की कीमत का विस्तृत मूल्य विश्लेषण, कार्य के दायरे, अनुसूची, जोखिम और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की किसी भी अन्य आवश्यकता के संबंध में शामिल होगा। यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद बैंक निर्धारित करता है कि बोलीदाता ने प्रस्तावित कीमत पर अनुबंध की पूर्ति करने की अपनी क्षमता को साबित करने में बड़ी तरह से विफल रहा है, तो बैंक बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने टेंडर के भाग ॥ की मात्रा और सामग्री की अनुसूची पढ़ी और समझी है तथा उपरोक्त सभी शर्तों को भी पढ़ा और समझा है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो ये शर्त मुझ पर/हम पर बाध्यकारी रहेंगी।

टेंडरदाता के हस्ताक्षर सहित मुहर

पता:

तारीख: